रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004 / 99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1528] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2013/आषाढ़ 11, 1935
No. 1528] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2013/ASADHA 11, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई , 2013

का.आ. 1978(अ).- कतिपय नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिक्रांत करते हुए जनसाधारण की जानकारी के लिए जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध कराई जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा या ईमेल पते secy-moef@nic.in पर इलैक्ट्रोनिक रूप में भेजे जा सकेंगे ।

आक्षेप या सुझाव जो किसी व्यक्ति से, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होते हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्ररूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** - ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी को लागू होंगे ।

3. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) **"वात निरपेक्ष पाचन"** से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जैविकीय अपघटन अंतर्वलित है;

(ii) **"प्राधिकार"** से "किसी सुविधा के प्रचालक" या "नगरीय प्राधिकरण", "पंचायत" या कोई अन्य अभिकरण को यथा लागू यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है ;

(iii) **"जैव अपघटनीय पदार्थ"** से वह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जा सके;

(iv) **"जैविक मिथेनीकरण"** से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन आवश्यक सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का विघटन करती है ;

(v) **"बफर जोन"** से गैर विकसित कोई जोन अभिप्रेत है जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट के भूमि भराव, प्रसंस्करण और निपटान के चारों ओर अनुरक्षित करना होगा ;

(vi) **"केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रनिबो)"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(vii) **"संग्रहण"** से संग्रहण बिंदुओं या कोई अन्य अवस्थान से नगरीय ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना या हटाया जाना अभिप्रेत है ;

(viii) **"कचरा खाद बनाना"** से कार्बनिक पदार्थ की सूक्ष्म जैविकीय अपघटित करने में अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ix) **"निर्माण और मलबा अपशिष्ट"** से भवन सामग्री, संनिर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और गिराने संबंधित क्रिया के परिणामस्वरूप मलबा और रोड़ी से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(x) **"निपटान"** से भू-जल, सतह जल, प्रवेशी वायु क्वालिटी और पक्षी आकर्षण के स्रोतों के संदूषण को रोकने के विनिर्दिष्ट उपायों के निबंधनों में नगरीय ठोस अपशिष्टों का अंतिम निस्तारण करना अभिप्रेत है ;

(xi) **"प्ररूप"** से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(xii) **"अपशिष्टों के उत्पादक"** से नगरीय ठोस अपशिष्टों का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है ;

(xiii) **"भूमि भरण"** से भू-जल, सतह जल के प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, दुर्गंध, अग्नि, परिसंकट, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव या कृंतक, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में भूमि पर नगरीय अपशिष्ट ठोसों के अपशिष्टों का निपटान अभिप्रेत है ;

(xiv) **"निक्षारितक"** से नगरीय ठोस अपशिष्टों से उत्पन्न द्रव्य जो ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसता है और जिसमें इससे घुलित अथवा निलंबित पदार्थों का निष्कर्षण किया गया है, अभिप्रेत है ;

(xv) **"पदार्थ प्रतिप्राप्ति सुविधा(पप्रसु)"** से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण गट्ठे और अस्थायी रूप से भंडारित करने की सुविधा है ;

(xvi) **"नगरीय प्राधिकरण"** से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपेलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, जिसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, और जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंध या हथालन ऐसे अभिकरण को सौंपा जाता है ;

(xvii) **"नगर पालिक ठोस अपशिष्ट"** के अंतर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों, ई-अपशिष्टों को छोड़कर या तो ठोस या अर्द्ध ठोस रूप में किसी नगरीय या अधिसूचित क्षेत्र में उत्पन्न वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट हैं तथा जिसके अंतर्गत उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट भी है ;

(xviii) **"नगर पालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन"** से नगर पालिक ठोस अपशिष्ट का संग्रहण पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक या स्वास्थ्यजनक रीति में कमी, पुनःउपयोग, प्रतिउद्धरणीय, पुनःचक्रणन भी है ;

(xix) **"प्रसुविधा का प्रचालक"** से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण और निपटान की किसी सुविधा का प्रचालन करता है जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण और निपटान प्रसुविधा के प्रबंधन के लिए नगर पालिक प्रबंधन द्वारा नियुक्त कोई अन्य अभिकरण भी है ;

(xx) **"गुल्लिकाकरण"** से कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुल्लिकाएं तैयार की जाती हैं जिसे ठोस अपशिष्टों से छोटे बौकोर या बेलनाकार टुकड़ों में तैयार किया जाता है और इसके अंतर्गत ईंधन गुल्लिकाएं भी आती हैं जिसे कचरे से प्राप्त ईंधन से, कचरा व्युत्पन्न ईंधन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ;

(xxi) **"विहित प्राधिकारी"** से नियम 4 में निर्दिष्ट इन नियमों के उपबंधों को लागू कराने और आवधिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(xxii) **"प्रसंस्करण"** से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्टों को नए या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है ;

(xxiii) **"पुनःचक्रण"** से नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण ठोस अपशिष्टों के रूपांतरण की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(xxiv) **"कचरा व्युत्पन्न ईंधन (कव्युई)"** से नगरीय ठोस अपशिष्ट को धज्जीकरण और सुखाने वाले ज्वलनशील सम्मिश्रण द्वारा उत्पादित गुल्लिका या रेशेदार प्ररूप में ईंधन है ;

(xxv) **"अनुसूची"** से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(xxvi) **"पृथक्करण"** से कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट और ई-अपशिष्टों के समूह में नगरीय ठोस अपशिष्टों को पृथक करना अभिप्रेत है ;

(xxvii) **"राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है ;

(xxiii) **"भंडारण"** से नगरीय ठोस अपशिष्टों को अस्थायी रूप से ऐसी रीति में डिब्बाबंद किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा करकट बिखरने, रोग वाहकों, आवारा पशुओं को आकर्षित करने और अत्यधिक दुर्गंध को रोका जा सके ;

(xxix) **"परिवहन"** से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है जिससे कि दुर्गंध, कूड़ा करकट बिखेरने और घृणित दृश्य की दशाओं और रोग वाहकों की पहुंच को रोका जा सके ;

(xxx) **"उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट"** से अस्पतालों और स्वास्थ्य देख रेख संस्थानों में उत्पन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसे समय समय पर यथा संशोधित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के अधीन यथा उपचारित विहित किया गया है ;

(xxxi) **"उपचारित"** से जो किसी अपशिष्ट को भौतिक, रासायनिक या जैविकीय लक्षणों या संघटकों को पद्धति तकनीकी या प्रक्रिया से परिवर्तन करना अभिपेत है जिससे क्षति के कारणों को यथा सभव कम किया जा सके;

(xxxii) **"कृमि कचरा खाद बनाना"** जैव अपघटनीय अपशिष्टों का केंचुआ के उपयोग की प्रक्रिया से कंपोस्ट की प्रक्रिया है ;

(xxxiii) **"अपशिष्ट एकत्र करने वाले"** से नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण में लगे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है ।

4. **विहित प्राधिकारी**-

(1) नीचे दी गई सारणी स्तंभ के (2) में वर्णित विहित अधिकारी हैं:

सारणी - 1

प्राधिकारियों और उनसे तत्स्थानी कर्तव्यों की सूची

क्र.सं.	विहित प्राधिकारी	तत्स्थानी कर्तव्य
(1)	(2)	(3)
1.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	इन नियमों का आवधिक पुनर्विलोकन करना
2.	नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार	इन नियमों के क्रियान्वयन का समन्वयन और पुनर्विलोकन करना ।
3.	भारसाधक सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य सरकार	नगरीय स्थानीय निकाय और नगर पालिका प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना और राज्य स्तरीय नगरीय ठोस अपशिष्ट नीति या रणनीति बनाना ।
4.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ मानकों और मार्गनिर्देशों के लिए पुनर्विलोकन और प्रवर्तन के लिए समन्वय बनाए रखना ; (ii) इन नियमों के कार्यान्वयन पर समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।

5.	नगरीय प्राधिकरण	(i) नगरीय ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और अवसंरचनाओं का विकास करना ; (ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान, सुविधाओं जिसके अंतर्गत भूमि भरण और विनिर्दिष्ट मानकों के साथ उनका अनुपालन सुनिश्चित करना भी है, स्थापित करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करना ; (iii) नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण की स्थापना और निपटान सुविधाओं, जिसके अंतर्गत समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रघात निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसार भूमि भरण भी है, के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना ; (iv) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति नगरीय विकास विभाग, संबद्ध राज्य सरकार को तथा संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को भेजना ।
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति	(i) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधा, जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी है, के लिए नियमों के अधीन प्राधिकार या सहमति के नियत पैरामीटरों को प्राधिकृत करना, मानीटरी करना ; (ii) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना ।

2. सारणी के स्तंभ (2) के अधीन निर्दिष्ट विहित प्राधिकारियों को स्तंभ (3) के अधीन वर्णित तत्स्थानी कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे ।

5. नगर पालिक प्राधिकरण के उत्तरदायित्व -

(1) प्रत्येक नगर पालिक प्राधिकरण उक्त नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन और नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास के लिए प्रत्यक्षतः या अवशिष्ट प्रबंधन में उसके द्वारा लगाए गए अभिकरणों या कार्यकारी समूहों, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट उठाने वाले भी हैं, के लिए उत्तरदयी होगा ।

(2) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का प्रचालक समय -समय पर यथा संशोधित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा, जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी हैं, की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा । नगरीय ठोस अपशिष्टों के भूमि भरण, प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं नगर योजना विभाग की भू उपयोग योजना में निगमित होगी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा मामला दर मामला आधार पर बफर जोन विनिर्दिष्ट होंगे ।

(3) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का कोई प्रचालक, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधा की स्थापना के लिए प्राधिकार या सहमति प्राप्त करेगा ।

(4) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का कोई प्रचालक अपशिष्ट प्रसंस्करण और सुविधाओं के निपटान, जिसके अंतर्गत भूमि भरण है, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकरण प्रदान करने के लिए प्ररूप-1 में आवेदन करेगा ।

(5) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का कोई प्रचालक जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारक तथ नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अधीन नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण, पुनःचक्रण और उपचारित करने की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों से सहमति प्राप्त करेगा।

(6) नगर पालिक प्राधिकरण नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण और परिवहन के लिए सेवा फीस का अवधारण कर सकेगा ।

(7) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का कोई प्रचालक अनुसूची के अनुसार इन नियमों का अनुपालन करेगा ।

(8) नगर पालिक प्राधिकरण संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों की नीति या योजना के अनुसार किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगा ।

(9) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का कोई प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी तकनीकी मार्गनिर्देशों के अनुसार सुविधा के डिजाइन, स्थापना और प्रचालन का उत्तरदायी होगा तथा संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य की प्रदूषण नियंत्रण समिति से डिजाइन और ले-आउट के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(10) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का कोई प्रचालक नगरीय ठोस अपशिष्टों के हथालन के लिए सभी कर्मकारों को वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर अर्थात् मजबूत चमड़े के बने दस्ताने, ऊंचे जूते, चश्में और **मास्क** उपलब्ध कराएगा ।

(11) विद्यमान इंजीनियरी सुविधाओं की दशा में जो प्रचालन में हैं अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति, सहमति और प्राधिकार प्राप्त करना नहीं होगा इसे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त करना होगा ।

6. **राज्य प्रदूषण् नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के उत्तरदायित्व** -

(1) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और भू-जल, प्रवेषी वायु, निक्षालन क्वालिटी और सम्मिलित क्वालिटी, जिसके अंतर्गत भष्मीकरण मानकों या अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अधीन कोई अन्य ऐसी शर्त, के अनुपालन को मानीटर करेगा ।

(2) (i) नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा का कोई प्रचालक, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्ररूप 1 में प्राधिकार के प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा।

(ii) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति नगर पालिक प्राधिकरण या सुविधा के प्रचालक से आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रस्ताव की परीक्षा करेगी ।

(iii) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति जब प्रस्ताव की परीक्षा करेंगे तो अन्य अभिकरणों जैसे राज्य नगर विकास विभाग, नगर और ग्राम योजना विभाग, विमानपत्तन या एयरबेस प्राधिकरण, भूमि जल बोर्ड या किसी ऐसे अन्य अभिकरण के दृष्टिकोण को भी विचार में लेंगे ।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्ररूप 3 के प्ररूप में नगर पालिक प्राधिकरण या किसी सुविधा के प्रचालक को अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के नियत अनुपालन साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 3 के प्ररूप में जारी करेंगे ।

(4) प्राधिकार अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधा के प्रकार पर आधारित किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा ; और विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकार का नवीनीकरण अपेक्षित होगा ;

(5) यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति इन नियमों से उपाबद्ध अनूसूची 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मानकों का, जब अपेक्षित हो, प्राधिकरण में नियत शर्तों के अनुपालन की मानीटरी करेंगे ।

7. **केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व** -

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों के कार्यान्वयन और पुनर्विलोकन तथा मार्गनिर्देशों और मानीटरी आंकड़ा के अनुपालन के विशिष्टतया संदर्भ में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के बीच समन्वयन करेगा ।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर नगर ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/उपचार और निपटान के लिए अपेक्षित मार्गनिर्देश प्रकाशित करेगा ।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण, पुनःचक्रण और उपचार के लिए किसी नई तकनीक के उपयोग का पुनर्विलोकन करेगा और इस संबंध में मानक विहित कर सकेगा ।

8. **राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों के उत्तरदायित्व** - राज्य स्तरीय नगर विकास विभाग राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना और नगर विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति (सानस्वनी) के अधीन राज्य स्वच्छता नीति के समरूप होगी ।

9. **नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन**-

(1) नगर पालिक प्राधिकरण द्वारा उसका अपना या किसी अभिकरण के माध्यम से या किसी सुविधा के प्रचालक द्वारा अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण तथा सुविधाओं के निपटान की स्थापना निम्नलिखित विनिर्देशों और मानकों को पूर्ण करते हुए करेगा, अर्थात् :-

(क) नगरीय ठोस अपशिष्ट के जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय घटकों का सुरक्षित संग्रहण और पृथक्करण ;

(ख) उद्यान कृषि, संनिर्माण या ध्वस्त मलबा या कचरा या डेयरी अपशिष्टों का पृथक संग्रहण और उपनियम के अनुसार उनका निपटान करना होगा तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा ;

(ग) नगर पालिक प्राधिकरण भंडारण स्थानों जैसे सामग्री प्रत्युद्धरणीय सुविधा की पहचान करेगा जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण और नगर पालिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित होने वाली सुविधाओं के भंडारण के लिए इस प्रकार अभिकल्पित होंगी कि भंडारित नगरीय ठोस अपशिष्टों का खुले वातावरण में भंडारण न हो और उपयोग के लिए सहज होगा ;

(घ) भंडारण सुविधाएं या 'विन्स' नगरीय ठोस अपशिष्टों के हथालन और परिवहन के लिए 'सहज प्रचालन' के लिए डिजाइन होंगे । जैव अपघटनीय अपशिष्टों के भंडारण के लिए विन्स हरे रंग के होंगे, सफेद रंग के पुनर्चक्रण अपशिष्टों के भंडारण के लिए होंगे और काले रंग के अन्य अपशिष्टों के भंडारण के लिए होंगे ;

(ङ) नगरीय ठोस अपशिष्टों का हाथ से हथालन प्रतिषिद्ध होगा ; परंतु सीमितता के दौरान अपरिहार्य दशा में कर्मकारों की सुरक्षा के लिए सम्यक् देख रेख के साथ उचित सावधानियों के अधीन हाथ से हथालन करना होगा ;

(च) भूमि भरण स्थलों में किसी पुनर्चक्रण सामग्री को हटाने के लिए कोई समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी ;

(छ) मिश्रित अपशिष्टों के भूमि भरण से बचना होगा जब तक कि वह अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अनुपयुक्त नहीं पाए जाते हैं ;

(ज) भूमि भरण केवल गैर उपयोगी, गैर पुनर्चक्रण, गैर जैव अपघटनीय, गैर क्रियाशील, जड़ अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों जैसे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अवशिष्ट के साथ-साथ अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रसुविधाओं से पूर्व प्रसंस्करण के नकारे गए अपशिष्ट तथा प्राकृतिक जैसे परंतु नगर पालिक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रभाव के होंगे या ईंट, खरंजा, ब्लॉक, संनिर्माण, गैर पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक और सीमेंट भट्टियों में गैर भष्मीयकरण के लिए अन्य अभष्मीयकरण अपशिष्ट या दरवाजे के पट्टे और ऐसी ही प्रकृति के विनिर्माण जिससे भूमि भरण पर भार कम होगा तथा भूमि भरण स्थल अनुसूची 1 में दिए गए विनिर्देशों को पूरा करेंगे ;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि कूड़ा, खाद या कोई अन्य अंतिम उत्पाद अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेंगे और यह भी सुनिश्चित करना कि इस प्रकिया के दौरान वातावरण को कोई क्षति कारित नहीं हो ;

(ञ) सभी पणधारियों के मध्य उनके उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना;

(ट) सुनिश्चित करना कि नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादनकर्ता कूड़ा करकट, नगर पालिक प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित प्राधिकृत अभिकरण या अपशिष्ट उठाने वालों को नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रदाय करे और नगरीय ठोस अपशिष्टों को खुले में जलाना अनुज्ञात नहीं हो ;

(ठ) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट या ई-अपशिष्ट नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ मिश्रित होगा और ऐसा अपशिष्ट इस प्रयोजन के लिए पृथक् विनिर्दिष्ट नियमों का पालन करेंगे ।

2. नगर पालिक प्राधिकरण उक्त नियमों को सभी नगरीय स्थानीय निकायों नगर पालिक उप विधियों में समाविष्ट करेंगे ।

3. नगर पालिक प्राधिकरण नगरीय ठोस अपशिष्टों का उपयोग उपयुक्त तकनीकी ग्रहण द्वारा प्रोत्साहित करेंगे जिसके अंतर्गत कचरा खाद केंचुआ कचरा खाद, ऊर्जा प्रतिद्धरणीय के साथ या उसके बिना वातनिरपेक्षी उपचारी सह भष्मीकारक या समुचित ऐसी प्रौद्योगिकी का संयोजन भी कर सकेगा जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्टों का उपयोग किया जा सके जिससे भूमि भरण पर भार कम हो सकेगा ।

4. यथास्थिति, नगर पालिक प्राधिकरण या प्रचालक कोई अन्य नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के आशय से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अभिकथित मानकों को प्राप्त करने के लिए पहुंच कर सकेंगे और विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार प्राप्त कर सकेंगे जिसके अंतर्गत इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी को विहित प्रदूषण नियंत्रण की कसौटियां सम्मिलित हैं ।

5. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां विनिर्दिष्ट मानकों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संपर्क करेंगी ।

6. विद्यमान कूड़ा स्थल जो भूमि भरण स्थलों के लिए निर्मित नहीं है इन नियमों के उपबंधों के अनुसार बंद और ढक दिए जाएंगे ।

7. ठोस अपशिष्टों की निस्तारण सुविधा के लिए नए स्थल प्रस्तावित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होंगे ।

8. ऐसी विद्यमान सुविधाओं को बंद करने और नई सुविधाओं का प्रचालन करने के लिए संक्रमण समय राज्य नगर विकास विभाग के परामर्श से नगर पालिक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित होगा ।

10. राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय -

(1) प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी ।

(2) निकाय का गठन संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा होगा ।

(3) राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन नीचे दिए गए अनुसार होगा :

(क) सचिव, नगर विकास विभाग-अध्यक्ष, पदेन

(ख) पर्यावरण विभाग राज्य सरकार से एक प्रतिनिधि- सदस्य, पदेन

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड या केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय से एक प्रतिनिधि- सदस्य, पदेन

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से एक प्रतिनिधि- सदस्य, पदेन

(ङ) स्थानीय निकायों से तीन प्रतिनिधि- सदस्य

(च) पर्यावरण या अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकार संगठनों या नागरिक सोसाइटियों से तीन प्रतिनिधि-सदस्य

(4) राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2013 से संबंधित सभी विषयों का पुनर्विलोकन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

(5) पुनर्विलोकन रिपोर्ट की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई के लिए इन नियमों के अधीन सभी विहित प्राधिकारियों को भेजनी होंगी ।

(6) निकाय इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और विहित प्राधिकारियों को भी सलाह देगा ।

(7) राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय यथा आवश्यक विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगा ।

11. **वार्षिक रिपोर्ट**-

(1) नगर पालिका प्राधिकरण प्ररूप-2 में एक प्ररूप में अपनी वार्षिक रिपोर्ट मेट्रोपोलिटन नगर की दशा में संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के नगर विकास के भारसाधक सचिव और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को प्रत्येक वर्ष की जून की 30 तारीख को या उससे पहले देगा ।

(2) सुविधा का प्रचालक प्ररूप-3 के अनुसार नगर पालिका प्राधिकरणों को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत इन नियमों और, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा नियत शर्तों के अनुसार उनके अनुपालन में की गई कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट भी होगी ।

(4) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति इन नियमों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्ररूप-4 के प्ररूप में प्रत्येक वर्ष की सितंबर की 30 वीं तारीख तक तैयार करके भेजेगा ।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगरीय ठोस अपशिष्टों के उपयोग और प्रबंधन पर समेकित वार्षिक पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और पर्यावरण वन मंत्रालय को अपनी सिफारिशों के साथ प्रत्येक वर्ष की दिसंबर की 30वें दिन तारीख से पहले भेजेगा ।

(6) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार संबंधित पणधारियों के साथ इन नियमों के अनुपालन के लिए वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा।

12. **दुर्घटना रिपोर्ट**- जब किसी नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण, उपचार और निस्तारण सुविधाओं या ऐसे अपशिष्टों के परिवहन के भूमि भरण स्थलों या उसके दौरान कोई दुर्घटना कारित होती है नगर पालिका प्राधिकरण या किसी सुविधा का प्रचालक नगर विकास विभाग के भारसाधक, सचिव या जिला कलक्टर को प्ररूप-5 के प्ररूप में दुर्घटना की रिपोर्ट तुरंत करेगा और उक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण करेगा ।

[फा. सं. 18-3/2004 (वीओएल.II)-एवएसएमडी]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

अनुसूची-1

भूमि भरण के लिए विनिर्देश

(क) स्थल चयन के लिए मार्ग निर्देश-

1. 'विकास प्राधिकरणों' की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों में ऐसे विकास प्राधिकरणों का भूमि भरण स्थलों की पहचान करना और संबंधित नगर पालिका प्राधिकरणों को ऐसे स्थलों को विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अंतरित करेंगे । अन्यत्र कहीं यह उत्तरदायित्व संबंधित नगर पालिका प्राधिकरण का होगा ।

2 भूमि भरण स्थलों का चयन करने में संबंधित पर्यावरण मुद्दों को विचार में लेंगे ।

3 भूमि भरण स्थल किसी चरणबद्ध निर्माण योजना के साथ साथ उसकी बंदी योजना के उचित दस्तावेजों के साथ योजनबद्ध और डिजाइन के होंगे । किसी विद्यमान भूमि भरण स्थल से लगा हुआ कोई नया भूमि भरण सुविधा तैयार किए जाने की दशा में विद्यमान भूमि भरण स्थल की बंदी योजना ऐसे नए भूमि भरण स्थल के प्रस्ताव का भाग होगी ।

4. भूमि भरण स्थलों का चयन अपशिष्ट संक्रिया सुविधा के निकट उपयोग के लिए चयनित होगी अन्यथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा भूमि भरण स्थलों के किसी आंतरिक भाग के रूप में योजनाबद्ध होगी ।

5. भूमि भरण स्थल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मार्गनिर्देशों के साथ स्थापित होंगे ।

6. विद्यमान भूमि भरण स्थल जो पांच वर्षों से अधिक के लिए उपयोग में हैं, इस अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों के अनुसरण में उन्नत किए जाएंगे ।

7. भूमि भरण स्थल कम से कम 20-25 वर्षों के लिए समाप्त होने के लिए, पर्याप्त बड़े होंगे ।

8. भूमि भरण स्थल आवासीय समूहों, वन क्षेत्रों, जलाशयों , स्मारकों, राष्ट्रीय पार्कों, दलदली भूमि और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व के महत्वपूर्ण स्थानों से दूर होंगे और मामले दर मामले आधार पर राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा यथा विहित दूरी बनाए रखेंगे ।

9. नगर पालिका ठोस अपशिष्टों के भूमि भरण स्थलों और प्रसंस्करण और निपटान के लिए स्थल के चारों ओर बफर जोन को किसी विकास के लिए नहीं बनाए रखा जाएगा । नगर पालिका ठोस अपशिष्टों के भूमि भरण स्थलों और प्रसंस्करण और निपटान के लिए स्थल नगर योजना विकास विभाग के भू- उपयोग योजना में सम्मिलित होंगे । बफर जोन मामला दर मामला आधार पर राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (राएसनिप्रा) द्वारा विहित होंगे । राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित स्थल संबद्ध स्थानीय शासन द्वारा अधिसूचित होंगे ।

10. भूमि भरण स्थल वायुपत्तन जिसके अंतर्गत एयरबेस भी हैं से दूर होंगे और जहां कोई स्थल किसी वायुपत्तन या एयरबेस के बीस किलोमीटर के भीतर स्थित है भूमि भरण स्थल की स्थापना से पूर्व वायुपत्तन या एयरबेस प्राधिकरणों से अनुमोदन करना आवश्यक होगा ।

11. जैव चिकित्सीय अपशिष्ट , यथासंशोधित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अनुसरण में निपटान होगा । परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन समय समय पर यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 के अनुसरण में होगा । ई-अपशिष्टों का प्रबंधन ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अनुसरण में होगा ।

ख. स्थलों पर सुविधाओं के विकास के लिए मानदंड

1. भूमि भरण स्थल पर बाड़ या चारदीवारी होगी और यानों या अन्य परिवहन के ढंगों को मानीटर करने के लिए उचित दरवाजों का उपबंध होगा ।

2. भूमि भरण स्थल अप्राधिकृत व्यक्तियों और आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए दीवार से संरक्षित होंगे ।

3. भूमि भरण स्थलों पर यानों और विद्यमान अन्य मशीनरी के मुक्त संचरण के लिए पहुंच और अन्य आंतरिक सड़कें होंगी।

4. भूमि भरण स्थल पर भूमि भरण के लिए लाए जाने वाले अपशिष्टों को मानीटरी करने को निरीक्षण सुविधा अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा और उपस्कर और मशीनरी जिसके अंतर्गत पर्यावरण मानीटर करने के उपस्कर भी हैं, रखने के लिए आश्रय स्थल होंगे ।

5. भूमि भरण स्थलों पर लाए जाने वाले अपशिष्टों के परिणाम का मापन करने को तुला चौकी, अग्नि सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुविधाएं जो अपेक्षित हों, का उपबंध होगा।

6. उपयोगिताएं जैसे पीने का पानी (कर्मकारों के लिए अधिमानी नहाने की सुविधा) और सहज भूमि भरण प्रचालन के लिए प्रकाश व्यवस्था जब रात्रि के घंटों में किया जाता हो, उपबंध होगा।

7. सुरक्षा उपबंध जिसके अंतर्गत भूमि भरण स्थलों पर कर्मकारों के स्वास्थ्य का आवधिक निरीक्षण करना होगा।

ग. भूमि भरण प्रचालनों और भूमि भरण पूर्ण होने पर उनको बंद करने के लिए विनिर्देशों के लिए मानदंड

1. अपशिष्ट को उच्च घनत्व प्राप्त करने के लिए भूमि भरण कंपेक्टर्स की पतली तह लगाए जाने के अधीन रहते हुए अपशिष्ट होंगे । उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां भारी कंपेक्टरों का उपयोग नहीं किया जा सकता है वैकल्पिक उपाय अपनाने होंगे ।

2. अपशिष्टों को तत्काल या प्रत्येक कार्यदिवस के अंत में दस सेंटीमीटर तक मिट्टी अवस्थित मलबे या निर्माण सामग्री से ऐसी अवधि तक ढक दिया जाएगा जब तक कि अनुसूची-2 के अनुसार कंपोस्टिंग, पुनःचक्रण या ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना न कर दी जाए ।

3. मानसून ऋतु के आरंभ होने से पूर्व भूमि भरण स्थलों को 40.65 सेंटीमीटर मिट्टी की मोटाई वाला अंतःवर्ती आवरण से उचित मोटाई और ग्रेडिंग करके बिछा दिया जाएगा जिससे मानसून के दौरान वर्षा के पानी के रिसाव को रोका जा सके । भूमि भरण स्थलों के प्रभावी क्षेत्रों से वर्षा के पानी के बहाव को रोकने के लिए उचित नालियों का संनिर्माण किया जाएगा ।

4. भूमि भरण स्थलों के पूरा हो जाने के पश्चात् उसके रिसाव और कटाव को न्यूनतम करने के लिए अंतिम आवरण डिजाइन किया जाएगा । अंतिम आवरण निम्नलिखित विनिर्देशों को पूरा करेगा:-

(i) इसे अवरोधक मिट्टी की एक परत से जिसे $1X10^{-7}$ सेंटीमीटर प्रति सेकिंड से कम की पारगम्यता वाली साठ सेंटीमीटर मोटी चिकनी मिट्टी या शोधित मिट्टी से अंतिम रूप से ढका जाएगा ।

(ii) अवरोधक मिट्टी की परत के ऊपर पंद्रह सेंटीमीटर मोटी एक निकास परत होगी ।

(iii) निकास परत के ऊपर 45 सेंटीमीटर मोटी कोई वनस्पति परत होगी जो प्रकृतिजन्य पादपों की वृद्धि में सहायता करेगी जिससे भूमि का कटाव कम से कम होगा ।

घ. प्रदूषण रोकने के लिए मानदंड-

भूमि भरण प्रचालन से प्रदूषण समस्याओं को रोकने के क्रम में निम्नलिखित उपबंध किए जाएंगे, अर्थात्:-

1. बिच्छालनों की उत्पत्ति को कम से कम करने और सतही जल के प्रदूषण को रोकने तथा बाढ़ और दलदलीय स्थितियों से बचने के लिए भी तूफानी जल नालियों को मोड़ा जाएगा ।

2. अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार और दीवारों को अपारगम्य लाइनिंग की प्रणाली कर संनिर्माण करना । ऐसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्टों या ऐसे अपशिष्टों जिसमें परिसंकटमय सामग्री को (जैसे ऐरोसोल, ब्लीच, पालिश, बैटरी, अपशिष्ट तेल, पेंट उत्पाद और कीटनाशक हों) भरने के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थलों के मामले में न्यूनतम लाइनर विनिर्देश एक ऐसी संग्रशित अवरोधक होगी जो 1.5 मिलीलीटर उच्च घनत्व वाली पॉली इथाइलीन (एचडीपीइ) कठोर परत (जीयोम्मरिंग/ जियोसिंथेटिक लाइनर) या उसके समतुल्य होगी तथा मिट्टी (चिकनी/संशोधित मिट्टी) 90 सेंटीमीटर के ऊपर होगी तथा इसकी पारगम्यता $1X10^{-7}$ सेंटीमीटर प्रतिसेकेड से अधिक नहीं होगी । जल सारणी का अधिकतम स्तर चिकनी या संशोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार से कम से कम दो मीटर नीचे होगा ।

3. बिच्छालन संग्रहण और शोधन के प्रबंधनों के लिए उपबंध किए जाएंगे । बिच्छालनों के शोधन अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होगा ।

4. भूमि भरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी, झील या तालाब में जाने से रोकना।

ङ. जल क्वालिटी मानीटरी के लिए मानदंड

1. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल की क्वालिटी के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा । भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर के अंदर भूमिगत जल की क्वालिटी को आवधिक रूप में मानीटर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूमिगत जल बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भूमिगत जल स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूषित न हो ।

2. किसी भी प्रयोजन (जिसके अंतर्गत पेय जल और सिंचाई भी है) भूमि भराई स्थलों में तथा उनके चारों ओर भूमिगत जल के प्रयोग पर उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा । मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल क्वालिटी के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होंगे, अर्थात्:-

क्रम. सं.	पैरामीटर	भा.मा. 10500: 1991 संस्करण 2.2 (2003-09) वांछनीय सीमा (मिग्रा/ली0 पीएच को छोड़कर)
(1)	आर्सेनिक	0.01
(2)	कैडमियम	0.01
(3)	क्रोमियम	0.05
(4)	तांबा	0.05
(5)	साइनाइड	0.05
(6)	सीसा	0.05
(7)	पारा	0.001
(8)	निकिल	–
(9)	नाइट्रेट एनओ के रूप में	45.0
(10)	पी एच	6.5-8.5
(11)	लौह	0.3
(12)	कुल कठोरता (सीएसीओ$_3$ के रूप में)	300.0

(13)	क्लोराइड	250
(14)	विलीन ठोस	500
(15)	फिनोलिक मिश्रण ($सी_6एच_5ओएच$)	0.001
(16)	जस्ता	5.0
(17)	सल्फेट (एसओ$_4$ के रूप में)	200

च. **परिवेशी वायु क्वालिटी को मानीटर करने के लिए मानदंड**

1. भूमि भरण स्थल पर गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे कि दुर्गंध को कम से कम किया जा सके तथा गैसों के अपस्थलीय फैलने को रोकने और भरी गई भूमि में उगाई गई वनस्पतियों को बचाया जा सके ।

2. भूमि भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा (एल.ई.एल.) 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. किसी भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजन या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा । अन्यथा, भूमि भरण गैस को जला (प्रदीप्त) दिया जाएगा और सीधे वायुमंडल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा । यदि इसका उपयोग और प्रदीप्त संभव न हो तो निष्क्रिय निकास की अनुमति दी जाएगी ।

4. भूमि भरण स्थल पर और इसके आस-पास परिवेशी वायु की क्वालिटी को निम्नलिखित विहित मानकों के अनुसार मानीटर किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	पैरामीटर	स्वीकार्य स्तर
(i)	सल्फर डाइ-आक्साइड	50 µजी/एम^3 (वार्षिक*) 80 µजी/एम^3 (24 घंटे**)
(ii)	नाइट्रोजन डाइ-आक्साइड	40 µजी/एम^3 (वार्षिक*) 80 µजी/एम^3 (24 घंटे**)
(iii)	विविक्त सामग्री (10µ से कम) या पीएम$_{2.5}$	60 µजी/एम^3 (वार्षिक*) 100 µजी/एम^3 (24 घंटे**)
(iv)	विविक्त सामग्री (2.5µ से कम) या पीएम$_{2.5}$	40 µजी/एम^3 (वार्षिक*) 60 µजी/एम^3 (24 घंटे**)
(v)	कार्बन मोनोक्साइड	1 घंटा **: 04एमजी/एम^3 8 घंटे **: 02एमजी/एम^3
(vi)	अमोनिया (एनएच$_3$) µजी/एम^3	100 µजी/एम^3 (वार्षिक*) 400 µजी/एम^3 (24 घंटे**)
(vii)	बेंजो (ए) पिरेन(बीएपी) - केवल विवक्त दशा एनजी/एम^3	1एनजी/एम^3 (वार्षिक*)

टिप्पण :

(i) *वार्षिक गणन से किसी विशिष्ट स्थल पर एक किसी वर्ष में न्यूनतम 104 मानक मापन जो समान अंतरालों पर किसी सप्ताह के 24 घंटे में दो बार लिए जाते हैं अभिप्रेत हैं ।

(ii) ** यथास्थिति, 24 घंटे या 8 घंटे या 1 घंटे मानीटरी के दो लगातार दिनों पर, किंतु वे उस सीमा को पार कर सकेंगे परंतु वह समय की दो प्रतिशत सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी, किसी वर्ष में समय का 98 प्रतिशत के साथ अनुपालन होगा ।

5. परिवेशी वायु क्वालिटी को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नियत समय के अनुसार मानीटर किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में छः बार ।

(ख) 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में चार बार ।

(ग) एक लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में दो बार ।

छ. भूमि भरण स्थल पर पौध रोपण के लिए मानदंड

1. तैयार स्थल को हरा-भरा बनाया जाएगा तथा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा:

(क) स्थानीय रूप से अंगीकृत अखाद्य बारहमासी पौधों का चयन जो सूखे तथा अत्यधिक तापमान के प्रतिरोधी हैं, को उगाने की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) उगाए गए पौधे ऐसे होंगे जिनकी जड़ें निम्न पारगम्यता परत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी

(ग) चयन किए गए पौधों में न्यून-पोषक मिट्टी में न्यूनतम पोषक संवर्धन के साथ फलने-फूलने का सामर्थ्य होगा ।

(घ) मिट्टी के कटाव को कम से कम करने की दृष्टि से पौध रोपण किया जाएगा ।

ज. भूमि भरण स्थल पर पश्चात्वर्ती देखभाल के लिए मानदंड

1. भूमि भरण स्थल कार्य समाप्ति के पश्चात् कम से कम 15 वर्षों तक उसकी देखभाल की जाएगी तथा लंबी अवधि तक मानीटर और देखभाल योजना में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) सबसे ऊपरी परत को पूर्ण रूप से तथा उसके प्रभावी अनुरक्षण के लिए उसकी मरम्मत करते रहना और कटाव या किसी अन्यथा नुकसान से अनुरक्षण करना ।

(ख) अपेक्षानुसार विक्षालन संग्रहण प्रणाली को मानीटर करना ।

(ग) अपेक्षानुसार भू-जल को मानीटर करना तथा भू-जल क्वालिटी को बनाए रखना ।

(घ) मानकों के अनुरूप भूमि भरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण करना तथा चलाते रहना।

2. भरे गए भूमि भरण स्थलों के पंद्रह वर्षों के पश्चात् उपयोग पर मानव बस्ती में या अन्यथा प्रयोग किए जाने के बारे में यह सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा कि गैस तथा विक्षालन संबंधी विश्लेषण अधिकथित मानकों के अनुसार है ।

झ. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंधों के लिए मानदंड

पर्वतों पर बसे शहरों तथा कस्बों में, नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड या समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्टों के अंतिम व्ययन के लिए विकसित की गई स्थानीय विनिर्दिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी । नगर पालिका प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए संसाधन सुविधाएं स्थापित करेगी । निष्क्रिय तथा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपयुक्त क्षेत्रों की भराई करने में प्रयोग किए जाएंगे । पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के कारण सड़क पर बिछाने या भराई के लिए उपयुक्त न पाए गए अपशिष्टों का निपटान विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमि भराई में किया जाएगा ।

अनुसूची-2

क. कचरा खाद के मानक

1. अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं में कचरा खाद नियमित जैव उपचार, भष्मीकरण, ऊर्जा, प्रतिलाभ या ऐसी अन्य सुविधाओं में समुचित प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा ।

2. नगर पालिका निजी अभिकरण, अभिकरण प्राधिकारी द्वारा की नियुक्ति के मामले में, नगर पालिका प्राधिकार और निजी अभिकरण के बीच एक विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट के प्रदाय और अन्य संबंधित शर्तों और निबंधनों पर विनिर्दिष्ट करार किया जाएगा ।

3. कम्पोस्ट संयंत्र और अन्य प्रसंस्करण सुविधाओं से होने वाली प्रदूषण समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित का पालन करना होगा, अर्थात्:-

(i) स्थल पर पहुंचने वाले अपशिष्टों का आगे प्रसंस्करण से पूर्व भली-भांति रख रखाव किया जाना चाहिए । जहां तक हो सके अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र ढ़का हुआ होना चाहिए । यदि ऐसा भंडारण खुले में किया गया हो तो निक्षलन शोधन और निपटान सुविधा तक पहुंचने वाले पंक्तिबद्ध नालों के निक्षालन/सतही जल अपवाह को इकट्ठा करने की सुविधा के साथ अपारगम्य आधार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(ii) गंध, कीड़े मकोड़े, कृंतक पक्षी के खतरे और आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए ।

(iii) संयंत्र के ब्रेक डाउन/रख रखाव के मामले में अपशिष्ट अंतर्ग्राही को बंद कर दिया जाना चाहिए और अपशिष्ट के भूमिभरण की ओर दिशा परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(iv) प्रक्रिया सुविधा स्थल से प्रक्रिया पूर्व और प्रक्रिया पश्चात् अस्वीकृति को नियमित आधार पर हटाया जाना चाहिए और उसे स्थल पर इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए । पुनश्चक्रण योग्य सामग्री उपर्युक्त विक्रेताओं के माध्यम से आनी चाहिए गैर पुनश्चक्रण को अच्छी तरह डिजाइन किए गए भूमिभरण स्थल (स्थलों) में भेजा जाना चाहिए ।

(v) कम्पोस्ट संयंत्र के मामले में विन्ड्रों क्षेत्र में पारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा आधार क्रंक्रीट अथवा कम्पैक्ट क्ले 50 सेंटीमीटर मोटी, जिसकी पारगम्यता गुणांक (10-7 सेंमी./सेकंड) के कम हो, का होना चाहिए । आधार में 1 से 2 प्रतिशत ढाल होनी चाहिए और इसके चारो तरफ निक्षालन या सतही अपवाह को इकट्ठा करने के लिए नालियां होनी चाहिए।

(vi) प्रसंस्करण संयंत्र की बाहरी दीवार की ओर नीचे की हवा में विशेष रूप से गंध की जांच करने के लिए नियमित परिवेशी वायु क्वालिटी की निगरानी की जानी चाहिए ।

(vii) नमी बनाए रखने के लिए कंपोस्ट संयंत्र में शोधित निक्षालन को पुनः प्रचालित करना होगा ।

4. कम्पोस्ट का संरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पोस्ट क्वालिटी के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टयों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात् :-

पैरामीटर	**(मि.ग्रा/कि.ग्रा शुष्क आधार पर पीएच मान और सीएन अनुपात को छोड़कर) से अनधिक संक्रेदण**
आर्सेनिक	10.00
कैडमियम	5.00
क्रोमियम	50.00
तांबा	300.00
सीसा	100.00
पारा	0.15
निकिल	50.00
जस्ता	1000.00
सी/एन औसत	20.40
पी एच	5.5-8.5

*ऊपर कथित संकेन्द्र से अनधिक कंपोस्ट (अंतिम उत्पाद) खाद्य फसलों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा । तथापि, खाद्य फसलों को उगाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा ।

ख. शोधित निक्षालन के लिए मानक

शोधित निक्षालन के व्ययन में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	पैरामीटर	मानक (व्ययन के तरीके)		
		अंतर्देशीय सतही जल	सार्वजनिक मलनाली	भूमि व्ययन
1.	निलंबित ठोस मि.ग्रा./ ली. अधिकतम	100	600	200
2.	घुले हुए ठोस (अकार्बनिक) मि. ग्राम/ लि.अधिकतम	2100	2100	2100
3.	पी.एच. मान	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
4.	अमोनिकल नाइट्रोजन (एन के रूप में)	50	50	-
5.	कुल कजेलडाहल, नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	100	-	-
6.	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (27 सें. पर 3 दिन) अधिकतम मि. ग्राम/ लि.	30	350	100

7.	रसायनिक ऑक्सीजन मांग, मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	250	-	-
8.	आर्सेनिक (ए.एस. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	0.2	0.2	0.2
9.	पारा(एच.जी. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	0.01	0.01	-
10.	सीसा (पी.बी. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	0.1	1.0	-
11.	कैडमियम (सी.डी. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	2.0	1.0	-
12.	कुल क्रोमियम (सी.आर. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	2.0	2.0	-
13.	तांबा (सी.यू. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	3.0	3.0	-
14.	जस्ता (जैड.एन. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	5.0	15	-
15.	निकल (एन.आई. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	3.0	3.0	-
16.	सायनाइड (सी.एन. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	0.2	2.0	0.2
17.	क्लोराइड (सी.आई. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	1000	1000	600
18.	फ्लोराइड (एफ. के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	2.0	1.5	-
19.	फिनोलिक मिश्रण ($सी_6एच_5$ के रूप में) मि. ग्राम/ लि. अधिकतम	1.0	5.0	-

टिप्पणः अंतःभूतल जल में शोधित निछालनों को बहाते समय, बाहर जाने वाले निछालनों की मात्रा और इकट्ठा करने वाले जलाशयों में उपलब्ध विलीन जल की मात्रा पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा ।

ग. भष्मीकरण: भष्मीकरण संयंत्र निम्नलिखित प्रचालन और उत्सर्जन मानको को पूरा करेंगे, अर्थात् :-

प्रचालन मानक

(1) दहन क्षमता (ईसी) कम से कम 99.00% होगी ।

(2) दहन क्षमता की गणना नीचे दिए अनुसार की जाती है ।

$$\text{सी.ई.} = \frac{\%\text{सीओ}_2}{\%\text{सीओ}_2 + \%\text{सीओ}} \times 100$$

उत्सर्जन मानक

पैरामीटर	सांद्रता मि.ग्रा./एनएम3 (12% $सीओ_2$ संशोधन)
(1) धूल कण	150
(2) नाइट्रोजन	450
(3) एचसीआई	50

(4) न्यूनतम स्टेक ऊंचाई भूमि से 30 मीटर ऊपर होनी चाहिए ।

(5) राख में वाष्पशील आर्गेनिक मिश्रण से अधिक नहीं होना चाहिए । 0.01%

टिप्पण:

1. विसर्जन सीमा से अधिक यदि आवश्यक हो सीमा प्राप्त करने के लिए भष्मीकारक के साथ उपयुक्त डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित या पुनः फिर किए जाने चाहिए ।

2. भष्मीकारक अपशिष्ट को किसी क्लोरीनीकृत विसंक्रमक के साथ रसायनिक तरीके से शोधित नहीं किया जाना है ।

3. क्लोरीनीकृत प्लास्टिक को भष्मीकारक नहीं किया जाना चाहिए ।

4. भष्मीकारक राख में जहरीले तत्व विनियमित मात्रा में सीमित होने चाहिए जैसे कि समय-समय पर यथासंशोधित संकटापन्न अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के अंतर्गत यथा परिभाषित ।

5. भष्मीकारक में ईंधन के रूप में केवल एलडी और एलएसएचएस/डीजल जैसे कम सल्फर ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

घ. अपशिष्टों से ऊर्जा-:

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति मामले दर मामले आधार पर प्रस्तावों की परीक्षा करने पर ऐसी सुविधाओं के चारों ओर परिवेशी वायु क्वालिटी को बनाए रखने के लिए ऐसे मानक विहित करेगी । भष्मीकरण के लिए और उपचारित निक्षालनों के निस्तारण के लिए विहित उत्सर्जन मानकों के सामंजस्य के साथ अन्य मानक और अन्य विनिर्देश होंगे ।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति नगर पालिका प्राधिकरण या इन प्राधिकरणों के निमित्त किसी प्रचालक द्वारा जमा किए गए प्रस्तावों की परीक्षा करेगा यदि सम्मिलित तकनीक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा अनुमोदित इन नियमों में वर्णित से भिन्न है । तथापि, यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति इस प्रकार वांछा करती है तो तकनीकी सलाह के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज सकेगा ।

प्ररुप-1

नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुनःचक्रण/उपचार और निपटान के लिए प्राधिकार अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव,

.....राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के.....

महोदय,

मैं/हम नगर पालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2012 के अधीन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुनःचक्रण/उपचार और निपटान के लिए प्राधिकार के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

1.	नगर पालिका प्राधिकरण/उनके द्वारा नियुक्त अभिकरण/सुविधा के प्रचालक का नाम	
2.	पत्राचार पता दूरभाष सं0 फैक्स सं0 ई-मेल	
3.	नोडल अधिकारी और पद (नगर पालिका प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा प्रसंस्करण/उपचार या निपटान के परिचालन के लिए उत्तरदायी प्राधिकृत अधिकारी)	
4.	सुविधा के स्थापन और परिचालन के लिए अपेक्षित प्राधिकार	(क) अपशिष्ट प्रसंस्करण (ख) पुनःचक्रण (ग) उपचार (घ) निपटान (ङ) भू-भराई

5.	दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करे	(i) स्थान अनापत्ति (स्थानीय प्राधिकारी) (ii) पर्यावरण अनापत्ति का प्रमाण (iii) संस्थापन के लिए अनुमति (iv) परिचालन को अनुमति (v) नगर पालिका प्राधिकरण और परिचालन अभिकरण के बीच करार (vi) परियोजना और अनुमानित आय पर निवेश
6.	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण/पुनःचक्रण/उपचार (i) प्रतिदिन प्रसंस्करित होने वाले अपशिष्ट का कुल परिमाण (क) प्रतिदिन पुनःचक्रित अपशिष्ट का परिमाण (ख) प्रतिदिन उपचारित अपशिष्ट का परिमाण (ग) प्रतिदिन भराई में निपटान हुए अपशिष्ट का परिमाण (ii) प्रसंस्करित अपशिष्ट के लिए उपयोगिता कार्यक्रम (उपयोगी उत्पाद) (iii) निपटान के लिए प्रणाली पद्धति (ब्यौरे संलग्न करे) (क) निक्षालन का परिणाम (ख) निक्षालन के लिए उपचार तकनीक (iv) पर्यावरण प्रदूषण के निरोध्य और नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही (v) संयंत्र में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही (vi) नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुनःचक्रण/उपचार/निपटान सुविधा के ब्यौरे (संलग्न किया जाए)	
7.	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का निपटान (i) परिलक्षित निपटान किए जाने (ii) प्रतिदिन निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट का परिमाण (iii) अपशिष्ट का स्वभाव और सम्मिश्रण (iv) स्थान के चयन की प्रणाली और मापदंड के ब्यौरे (संलग्न) (v) प्रचालन के अधीन विद्यमान स्थान के ब्यौरे (vi) भराई से संबंधित प्रणाली पद्धति और प्रचालन के ब्यौरे (vii) पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए की गई कार्यवाही	
8.	क्रियान्वयन के लिए विस्तृत कार्य-योजना संलग्न की जाए	

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर :

पदनाम :

प्ररूप-2

प्राधिकार जारी करने के लिए रूप विधान

फाइल सं0 :.....

तारीख :.....

प्राधिकार सं0

सेवा में,

_____मैं/हम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रस्ताव का परीक्षण करने के पश्चात्.....पर अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनःचक्रण/उपचार/निपटान सुविधा की स्थापना और प्रचालन करने के लिए.....को जिनका प्रशासनिक कार्यालय.....में है, प्राधिकृत करता हूँ/करते है ।

1. नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनःचक्रण, उपचार और निपटान की सुविधा के परिचालन के लिए प्राधिकार प्रदत्त किया जाता है ।

2. प्राधिकार निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन होगे तथा एसी शर्तें इन नियम और इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची 2, 4 और 5 में अधिकथित मानक में अन्यथा विनिर्दिष्ट हो।

3. .....राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति, किसी भी समय प्राधिकार के अधीन लागू शर्तों को प्रतिसंहृत कर सकता है और उसे लिखित में सूचित करेगा ।

4. नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2012 के उपबंध के किसी अतिक्रमण पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दांडिक उपबंध लागू होगे

(सदस्य सचिव)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ संघ राज्य क्षेत्र का प्रदूषण नियंत्रण समिति

(हस्ताक्षर और पदनाम)

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-3

नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट का प्ररुप

1	शहर/नगर का नाम	
2	जनसंख्या	
3	पत्राचार पता दूरभाष सं0 फैक्स सं0 ई-मेल	
4	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से संबंधित भारसाधक का नाम	
5	नगर ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा	
	(i) प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा (ii) प्रतिदिन एकत्र होने वाले अपशिष्ट की मात्रा (iii) प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा (iv) भराई द्वारा निपटान किए गए अपशिष्ट की मात्रा	
6	अपशिष्ट एकत्रीकरण	सभी गृहों/वाणिज्यिक/संस्थानिक/अन्य स्थापनों की अवस्थिति चिह्नित करके शहर की संपत्ति का नक्शा संलग्न करे
	(i) अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए आने वाला क्षेत्र	
	(ii) आने वाले गृहों की संख्या	प्रत्येक प्रवर्ग में कुल संख्या
	(i) होटल सहित वाणिजिक स्थापनों की संख्या	ब्यौरें सहित संख्या

	(iii) शैक्षणिक संस्थानों/कार्यालयों/ नगर पालिका अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले आने वाले अन्य संस्थान जो कि नियम के अध्याय 1, खंड 3(xviii) में परिभाषित है, कि संख्या	ब्यौरों सहित संख्या
	(iv) क्या घर जाकर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जा रहा है ।	हां/नहीं
	(V) क्या गृह, वाणिज्यिक और संस्थानिक स्तर पर पृथक रुप से अपशिष्ट एकत्र किया जाएगा	हां/नहीं (यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए)
7.	अपशिष्ट संग्रहण और सुविधाएं	
	(i) कूड़ेदान की संख्या (हरा, सफेद, काला) आकार, आकृति, प्रकार	विद्यमान अपेक्षित
	(ii) आरसीसी से बने कूड़ादान (क्षमता)	विद्यमान अपेक्षित
	(iii) पात्र (क्षमता)	विद्यमान अपेक्षित
	(iv) डंपर स्थान-प्लेसर	विद्यमान अपेक्षित
	(v) ट्राली और ढलाव (क्षमता)	विद्यमान अपेक्षित
	(vi) अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें	
	(क) सभी कूड़ादानों का जोनवार वितरण (रंगीन और आरसीसी, पात्र, डंपर प्लेसर, ढलाओ बिंदु)	कूड़ादान, डंपर प्लेसर, पात्र ढलाओ का वितरण चिन्हित करके शहर की संपत्ति का नक्शा संलग्न करे
	(ख) क्या सभी कूड़ादान/एकत्रीकरण जगह से नियमित कूड़ा उठवाया जाता है ।	हां/नहीं
	(ग) क्या सभी कूड़ादान/एकत्रीकरण जगह पर पृथक् भंडारण की सुविधा है ।	हाँ/नहीं (यदि हां, तो ब्यौरे जोड़ें)
	(घ) क्या कूड़ादान से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया हस्तचालित है या यांत्रिक	हस्तचालित/लोडर्स/अन्य विनिर्दिष्ट करें
	(ङ) यदि यांत्रिक है तो (कृपया टिक मार्क करें)	फ्रंट-एंड लोडर्स/टॉप लोडर्स
	(च) क्या उठाया गया कूड़ा पथक रूप से उपचार संयत्र में भेजा जाता है	हाँ/नहीं (यदि हां, विनिर्दिष्ट करें)
8.	अपशिष्ट ढोना	विद्यमान अपेक्षित
	(i) ट्रक	विद्यमान अपेक्षित
	(ii) ट्रक- टिप्पर	विद्यमान अपेक्षित
	(iiii) ट्रेक्टर-ट्रेलर	विद्यमान अपेक्षित
	(iv)कचरा अपशिष्ट संग्रहक	विद्यमान अपेक्षित
	(v) डम्पर प्लेसर	विद्यमान अपेक्षित
	(vi) पशु गाड़ी	विद्यमान अपेक्षित
	(vii) तिपहिया वाहन	विद्यमान अपेक्षित
	(viii) अन्य	विद्यमान अपेक्षित
9.	अपशिष्ट उपचार तकनीक	
	(i) कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा
	(ii) वर्गी कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा
	(iii) कचरा व्युत्पन्न ईंधन	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा

2921 GI/17 - 5

	(iv) सह-प्रसंस्करण	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा
	(v) ऊर्जा प्रति प्राप्ति	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा
	(vi) अपशिष्ट भष्मीकारक	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा
	(vii) अन्य	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा
10.	भराई सुविधा के ब्यौरे	
	(i) भराई के लिए उपयोग किए गए स्थानों की संख्या	
	(ii) उपयोग किया गया क्षेत्र	
	(क) क्षेत्र पर बाड़ बना है	हाँ/नहीं
	(ख) स्थान पर प्रकाश की सुविधा है	हाँ/नहीं
	(ग) तोल चोरी (धर्म कांटा) की सुविधा उपलब्ध है	हाँ/नहीं (यदि हां, तो आंकड़ा शीट संलग्न करें)
	(घ) उपयोग किए गए उपकरण (विनिर्दिष्ट करें)	बुलडोजर कम्पेक्टर आदि उपलब्ध है
	(ङ) स्थान पर श्रम शक्ति उपलब्ध है	हाँ/नहीं (यदि हां, तो ब्यौरे संलग्न करें)
	(च) आच्छादन दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है	हाँ/नहीं
	(छ) आच्छादन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है	हाँ/नहीं
	(ज) गैस की निकासी के प्रबंध हैं	हाँ/नहीं (यदि हां तो तकनीकी आंकड़ा शीट संलग्न करें)
	(झ) निक्षालन एकत्र करने का प्रबंध है	हाँ/नहीं (यदि हां तो तकनीकी आंकड़ा शीट संलग्न करें)
11.	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है	यदि हां तो कार्य योजना के ब्यौरे संलग्न करें
12.	निम्नलिखित के स्वस्थ प्रचालनों को रोकने के लिए क्या उपबंध उपलब्ध है और इनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है । (i) डेयरी संबंधित गतिविधियां (ii) कसाई खाना और अप्राधिकृत पशु वध (iii) मलबा (कंसट्रक्शन डेबरीज) उठाने के लिए (iv) पार्क, फुटपाथ आदि में अतिक्रमण	
13.	पोस्ट क्लोजर योजना के ब्यौरे	योजना संलग्न करें
14.	कितने मलीन बस्ती को चिन्हित किया गया है और क्या इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध हैं ।	हाँ/नहीं (यदि हां, तो ब्यौरे संलग्न करें)

नगर आयुक्त के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-4

नगर पालिक प्राधिकारी की सुविधा के परिचालक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

1	**शहर/नगर का नाम**	
3	**परिचालक** नाम और पता दूरभाष सं. फैक्स सं. ई-मेल	
4	**एमएसडब्लयू से संबंधित कार्यसाधक का नाम**	
5	**ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा**	
	(i) प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा (ii) प्रतिदिन एकत्र होने वाले अपशिष्ट की मात्रा (iii) प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा (iv) भराई द्वारा निपटान किए गए अवशिष्ट की मात्रा	
6	**अपशिष्ट एकत्रीकरण**	सभी गृहों/वाणिज्यिक्य/संस्थानिक/अन्य स्थापनों की अवस्थिति चिह्नित करके शहर की संपत्ति का नक्शा संलग्न करे
	(i) अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए आने वाला क्षेत्र	
	(ii) आने वाले क्षेत्र में गृहों की संख्या	प्रत्येक प्रवर्ग में कुल संख्या
	(i) होटल सहित वाणिजिक स्थापनों की संख्या	ब्यौरों सहित संख्या
	(iii) शैक्षणिक संस्थानों/कार्यालयों/नगर पालिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले आच्छेदित अन्य संस्थान जो कि नियम के अध्याय 1, नियम 3(xviii) में परिभाषित है, कि संख्या	ब्यौरों सहित संख्या
	(iii) क्या घर घर जाकर नागर ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जा रहा है।	हां/नहीं
	(V) क्या गृह, वाणिज्यिक और संस्थानिक स्तर पर पृथक रुप से अपशिष्ट एकत्र किया जाएगा	हां/नहीं (यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए)
	यदि हां तो किसके द्वारा किया जाता है	नगर पालिका/निजी अभिकरण/गैर सरकारी संगठन
7.	**अवशिष्ट संग्रहण और सुविधाएं**	
	(i) कूड़ेदान की संख्या (हरा, सफेद, काला) आकार, आकृति, प्रकार	विद्यमान अपेक्षित
	(ii) आरसीसी से बने कूड़ादान (क्षमता)	विद्यमान अपेक्षित
	(iii) पात्र (क्षमता)	विद्यमान अपेक्षित
	(iv) डंपर स्थान-प्लेसर	विद्यमान अपेक्षित
	(v) ट्राली और ढलाव (क्षमता)	विद्यमान अपेक्षित
	(क) अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें	
	(ख) सभी कूड़ादानों का जोनवार वितरण (रंगीन और आरसीसी, पात्र, डंपर प्लेसर, ढलाव बिंदु)	कूड़ादान, डंपर प्लेसर, पात्र ढलाओं का वितरण चिन्हित करके शहर की संपत्ति का नक्शा संलग्न करे
	(ग) क्या सभी कूड़ादान/एकत्रीकरण जगह से नियमित कूड़ा	हां/नहीं

	उठवाया जाता है ।		
	(घ) क्या सभी कूड़ादान/एकत्रीकरण जगह पर पृथक् भंडारण की सुविधा है ।	हाँ/नहीं (यदि हां, तो ब्यौरे जोड़ें)	
	(ङ) क्या कूड़ादान से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया हस्तचालित है या यंत्रवत	हस्तचालित/लोडर्स/अन्य विनिर्दिष्ट करें	
	(च) यदि यंत्रवत है तो (कृपया टिक मार्क करें)	फ्रंट-एंड लोडर्स/टॉप लोडर्स	
	(छ) क्या उठाया गया कूड़ा कृथक रूप से उपचार प्लांट में भेजा जाता है	हाँ/नहीं (यदि हां, विनिर्दिष्ट करें)	
8.	**अवशिष्ट ढोना**	विद्यमान	अपेक्षित
	(i) ट्रक	विद्यमान	अपेक्षित
	(ii) ट्रक- टिप्पर	विद्यमान	अपेक्षित
	(iiii) ट्रेक्टर-ट्रेलर	विद्यमान	अपेक्षित
	(iv) कचरा संग्रहक	विद्यमान	अपेक्षित
	(v) डम्पर प्लेसर	विद्यमान	अपेक्षित
	(vi) पशु गाड़ी	विद्यमान	अपेक्षित
	(vii) तिपहिया वाहन	विद्यमान	अपेक्षित
	(viii) अन्य	विद्यमान	अपेक्षित
9.	**अपशिष्ट उपचार तकनीक**		
	(i) कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा	
	(ii) वर्मी कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा	
	(iii) कचरा व्युत्पन्न ईंधन	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा	
	(iv) सह-प्रसंस्करण	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा	
	(v) ऊर्जा प्रति प्राप्ति	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा	
	(vi) अवशिष्ट भष्मीकारक	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा	
	(vii) अन्य	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा तैयार अंतिम उत्पाद की मात्रा विक्रय हुई मात्रा	
10.	**भराई सुविधा के ब्यौरे**		
	(i) भराई के लिए उपयोग किए गए स्थानों की संख्या		
	(ii) उपयोग किया गया क्षेत्र		
	(क) क्षेत्र पर घेरा बना है	हाँ/नहीं	
	(ख) स्थान पर प्रकाश की सुविधा है	हाँ/नहीं	
	(ग) तोल चावै (धर्म कांटा) की सुविधा उपलब्ध है	हाँ/नहीं (यदि हां, तो आंकड़ा शीट संलग्न करें)	
	(घ) उपयोग किए गए उपकरण (विनिर्दिष्ट करें)	बुलडोजर कामपेक्टर आदि उपलब्ध है	
	(ङ) स्थान पर श्रम शक्ति उपलब्ध है	हाँ/नहीं	

		(यदि हां, तो ब्यौरे संलग्न करें)
	(च) आच्छादन दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है	हाँ/नहीं
	(छ) आच्छादन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है	हाँ/नहीं
	(ज) गैस की निकासी के प्रबंध हैं	हाँ/नहीं (यदि हां तो तकनीकी आंकड़ा शीट संलग्न करें)
	(झ) निक्षालन एकत्र करने का प्रबंध है	हाँ/नहीं (यदि हां तो तकनीकी आंकड़ा शीट संलग्न करें)
14.	पोस्ट क्लोजर योजना के ब्यौरे	योजना संलग्न करें

परिचारक के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप-5

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समितियों द्वारा प्रस्तुत होने वाली वार्षिक पुनर्विलोकन रिपोर्ट का प्ररूप

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परिवेश भवन,
पूर्व अर्जुन नगर
दिल्ली-110032

1	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण का नाम और पता	
3.	इन नियमों के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में नगर ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नगर पालिक प्राधिकरणों की संख्या	
4.	प्राधिकार के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	
5.	नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में नगर प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण	कृपया उपाबंध-II संलग्न करें ।
6.	अपशिष्ट एकत्रीकरण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान के संबंध में नगर पालिक प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण	कृपया उपाबंध-II संलग्न करें ।
7.	अनुसूची-2 के कार्यान्वयन के संबंध में नगर पालिक प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण	कृपया उपाबंध-II संलग्न करें ।
तारीख..... स्थान.....		अध्यक्ष या सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति

2921 GI/13-6

प्ररूप-6

दुर्घटना का प्रतिवेदन

1.	दुर्घटना की तारीख और समय	
2.	दुर्घटना के लिए कारक घटनाओं का अनुक्रम	
3.	दुर्घटना में सम्मिलित अपविष्ट	
4.	दुर्घटना का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले असर का निर्धारण	
5.	आपातकाल में की गई कार्यवाही	
6.	दुर्घटना के असर को कम करने के लिए किए गए उपाय	
7.	दुर्घटना को पुनःघटित होने से रोकने के लिए उपाय	
	तारीखः.....	हस्ताक्षर.....
	स्थानः.....	पदनाम.....

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2013

S.O. 1978(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Section 3, Section 6 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, it is hereby published for the information of public likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to public;

Objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification, if any, may be addressed, within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003 or electronically at e-mail address: secy-moef@nic.in;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement.--

(1) These rules may be called Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2013;

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Application - These rules shall apply to every municipal authority responsible for collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste.

3. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires,--

(i) "**anaerobic digestion**" means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in absence of oxygen;

(ii) **"authorization"** means the consent given by the State Pollution Control Board or Committee as the case may be, to the "operator of a facility" or "municipal authority", "panchayat" or any other agency as applicable ;

(iii) "**biodegradable substance**" means a substance that can be degraded by micro-organisms;

(iv) **"biomethanation"** means a process which entails enzymatic decomposition of the organic matter by microbial action to produce methane rich biogas;

(v) "**buffer zone**" mean a zone of no-development which shall be maintained around landfills, processing and disposal facilities of municipal solid waste;

(vi) **"Central Pollution Control Board (CPCB)"** means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of Section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(vii) "**collection**" means lifting and removal of municipal solid waste from collection points or any other location;

(viii) "**composting**" means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(ix) "**construction and demolition waste**" means the waste arising from building materials debris and rubble resulting from construction, re-modelling, repair and demolition operation;

(x) "**disposal**" means the final disposal of municipal solid waste in terms of the specified measures to prevent contamination of ground-water, surface water, ambient air quality and source of bird attraction ;

(xi) **"form"** means a form appended to these rules;

(xii) **"generator of waste"** means persons or establishments generating municipal solid waste;

(xiii) "**landfilling**" means the disposal of residual municipal solid waste on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and air fugitive dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, slope instability and erosion;

(xiv) "**leachate**" means the liquid generated from municipal solid waste that seeps through solid waste or other medium and has extracts of dissolved or suspended material from it;

(xv) "**materials recovery facility (MRF)**" means a facility where municipal solid waste can be segregated, baled and temporarily stored;

(xvi) **"municipal authority" means the** Municipal Corporation, Municipality, Nagar Palika, Nagar Nigam, Nagar Panchyat, Municipal Council including notified area committee (NAC) or any other local body constituted under the Acts for time being in force and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

(xvii) **"municipal solid waste"** includes the commercial and residential waste generated in a municipal or notified areas in either solid or semi-solid form excluding industrial hazardous waste, e-waste and including treated bio-medical waste;

(xviii) **"municipal solid waste management"** means the collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste, including reduction, re-use, recovery, recycling in a scientific and hygienic manner;

(xix) **"operator of a facility"** means a person who operates a facility for processing and disposal of municipal solid waste which also includes any other agency appointed by the municipal authority for the management of processing and disposal facility;

(xx) **"pelletisation"** means a process whereby pellets are prepared which are small cubes or cylindrical pieces made out of solid waste and includes the fuel pellets which are referred as refuse derived fuel ;

(xxi) "**Prescribed Authority**" means the Authority to undertake and ensure periodical implementation of the provisions of the these rule mentioned in rule 4;

(xxii) "**processing**" means the process by which municipal solid waste is transformed into new or recycled products;

(xxiii) "**recycling**" means the process of transforming segregated solid waste for producing new products;

(xxiv) **"refuse derived fuel (RDF)"** is fuel in the form of pellets or fluff produced by shredding and dehydrating combustible components of municipal solid waste;

(xxv) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;

(xxvi) **"segregation"** means to separate the municipal solid waste into the groups of organic, inorganic, recyclables, industrial hazardous waste and e-waste;

(xxvii) **"State Pollution Control Board or Pollution Control Committee"** means the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, constituted under sub-section (1) of Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974;

(xxviii) **"storage"** means the temporary containment of municipal solid waste in a manner so as to prevent littering, attraction to vectors, stray animals and excessive foul odour;

(xxix) **"transportation "** means conveyance of municipal solid waste from place to place hygienically through specially designed transport system so as to prevent the foul odour, littering, unsightly conditions and accessibility to vectors;

(xxx) **"Treated bio-medical wastes"** means the wastes generated in hospitals and health care

institutions which have been prescribed as treated under the Bio-medical Waste (Management and Handling) Rule1998, as amended time to time;

(xxxi) **"treatment"** means the method, technique or process, designed to modify physical, chemical or biological characteristics or composition of any waste so as to reduce its potential to cause harm;

(xxxii) **"vermicomposting"** is a process of using earthworms for conversion of bio-degradable waste into compost;

(xxxiii) **"waste pickers"** mean the individuals or groups of individuals engaged in the collection of municipal solid waste.

4. Prescribed Authority -

(1) The Prescribed Authorities are mentioned in column (2) of the table below:

Table 1:

List of Authorities and corresponding duties

S. No. (1)	Prescribed Authority (2)	Corresponding Duties (3)
1.	The Ministry of Environment and Forests, Government of India	To undertake periodic review of these rules.
2.	The Ministry of Urban Development, Government of India	Coordinate and review of implementation of these rules.
3.	The Secretary–in-charge, Urban Development Department, State Government	To ensure implementation of provisions of these rules by the urban local bodies and municipal authorities and to prepare a State Level Municipal solid waste policy or strategy.
4.	The Central Pollution Control Board	(i) To maintain Co-ordination with State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees for review and enforcement of standards and guidelines; (ii) to prepare a consolidated annual review report on implementation of these rules.
5.	The Municipal Authority	(i) Collection, segregation, transportation and infrastructural development for the disposal of municipal solid waste; (ii) to seek authorization for setting up waste processing and disposal facility including landfills and to ensure compliance with specified standards; (iii) to seek environmental clearance for setting up municipal solid waste processing and disposal facility including landfills as per the Environment Impact Assessment notification dated 14th September, 2006 notified vide S.O. 1533 as amended time to time; (iv) to prepare and submit annual report to the Urban Development Department, concerned State Government and to the concerned State Pollution Control Board or Committee, as the case may be.
6.	The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee	(i) Authorization, monitoring of parameters stipulated in the authorization or consents under the rules for the municipal solid waste processing and disposal facility including landfills; (ii) to prepare and submit annual report to the Central Pollution Control Board.

(2) The Prescribed Authorities referred under column (2) of the Table shall exercise the corresponding duties mentioned under column (3).

5. Responsibility of Municipal Authority -

(1) Every municipal authority shall be responsible for the implementation of the provisions of these rules and for the necessary infrastructure development for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of municipal solid waste directly or by engaging agencies or groups working in waste management including waste pickers.

(2) The municipal authority or an operator of a facility shall make an application for grant of environmental clearance from the State Level Environment Impact Assessment Authority for setting up municipal solid waste processing and disposal facility including landfills as per the Environment Impact Assessment notification 2006 as amended time to time. The sites for landfills, processing and disposal facilities of municipal solid waste shall be incorporated in the Town Planning Department's land-use plans. The buffer zones shall be specified by the State Level Environment Impact Assessment Authority, on a case to case basis.

(3) The municipal authority or an operator of a facility shall obtain the authorization or consent for setting up waste processing and disposal facility including landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be.

(4) The municipal authority or an operator of a facility shall make an application in the form of Form-I, for grant of authorization for setting up waste processing and disposal facility including landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be.

(5) The municipal authority or an operator of a facility shall obtain the consents for the establishment and operations of the municipal solid waste processing, recycling, treatment under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee.

(6) The municipal authority may determine the service fee for collection and transportation of municipal solid waste.

(7) The municipal authority or an operator of a facility shall comply with these rules as per the Schedules.

(8) The municipal authority shall prepare a municipal solid waste management plan as per policy or strategy of the concerned State Government or Union Territory.

(9) The municipal authority or an operator of a facility shall be responsible to design, set up and operate the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time and shall obtain the approval for the design and lay out from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union Territories.

(10) The municipal authority or an operator of a facility shall provide personal protection equipment namely hand gloves, high boots made of tough leather, goggles and masks to all workers for handling municipal solid waste.

(11) In case of existing engineered facilities that are in operation and have not obtained the requisite environmental clearances, consents and authorization, it shall be obtained within a period of one year from the issue of this notification.

6. Responsibility of the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees -

(1) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the progress of implementation of Action Plan and the compliance of the standards regarding ground water, ambient air, leachate quality and the compost quality including incineration standards or any other such condition as specified under the Schedules I and II.

(2) (i) For grant of authorization, the Municipal Authority or the operator of facility shall make an application in the form of Form I to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be.

(ii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, after the receipt of the application, from the Municipal Authority or the operator facility, shall examine the proposal.

(iii) While examining the proposal the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, shall take into consideration the views of other agencies like the State Urban Development Department, the Town and Country Planning Department, Airport or Airbase Authority, the Ground Water Board or any such other agencies.

(3) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall issue the authorization in form of Form-III to the municipal authority or an operator of a facility within a period of sixty

days stipulating compliance criteria and standards as specified in Schedule I and II including other conditions, as may be necessary.

(4) The authorization shall be valid for a specified period depending upon the type of waste processing or disposal facility; and after the validity is over, renewal of authorization shall be required.

(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the compliance of the conditions stipulated in the authorization and the standards specified in Schedules I, and II annexed to these rules as and when required.

7. Responsibility of the Central Pollution Control Board-

(1) The Central Pollution Control Board shall co-ordinate with the State Pollution Control Boards and the Pollution Control Committees with particular reference to implementation and review of standards and guidelines and compilation of monitoring data.

(2) The Central Pollution Control Board shall publish requisite guidelines for processing/treatment and disposal of municipal solid waste from time to time.

(3) The Central Pollution Control Board shall review the use of any new technology for processing, recycling and treatment of municipal solid waste and may prescribe standards in this regard.

8. Responsibilities of the State or Union Territory -

The State Level Urban Development Department shall prepare a Municipal Solid Waste Management Strategy for the State or the Union Territory and the strategy shall be consistent with the State Sanitation Strategy under the National Urban Sanitation Policy (NUSP) of the Ministry of Urban Development.

9. Management of municipal solid waste –

1. The waste collection, segregation, storage, transportation, and the processing and the disposal facilities to be set up by the municipal authority on their own or through an agency or an operator of a facility, shall fulfil the following specifications and standards namely:

(a) the safe collection and segregation of municipal solid waste into biodegradable and non-biodegradable components;

(b) the horticultural and construction or demolition or debris or dairy waste shall be separately collected and disposed of in accordance with the Bye laws and not to be mixed with municipal solid waste;

(c) the municipal authority shall identify storage spaces such as materials recovery facility, as appropriate, for segregation of municipal solid waste and the storage facilities to be set up by municipal authorities shall be so designed that the municipal solid waste stored are not exposed to open atmosphere and shall be user-friendly;

(d) the storage facilities or 'bins' shall have 'easy to operate' design for handling and transportation of municipal solid waste. Bins for storage of bio-degradable waste shall be painted green, those for storage of recyclable waste shall be painted white and those for storage of other waste shall be painted black;

(e) manual handling of municipal solid waste shall be prohibited: provided that in case unavoidable due to constraints, manual handling shall be carried out under proper precaution with due care for safety of workers;

(f) the landfill site may provide an appropriate facility for removing any recyclable material;

(g) the Land filling of mixed waste shall be avoided unless it is found unsuitable for waste processing;

(h) the landfill shall only be permitted for non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-reactive inert waste and other waste such as residues of waste processing facilities as well as pre-processing rejects from waste processing facilities and the like nature provided that effort shall be done by the municipal authority or operators to utilize inert waste for making bricks, pavement blocks, construction blocks, non-recyclable plastics and other incinerable waste for co-incineration in cement kilns or any high temperature furnaces or manufacture of door panels, and the like nature so that the burden on landfill is reduced and the landfill sites shall meet the specifications as given in Schedule –I;

(i) to ensure that compost or any other end product shall comply with standards as specified in Schedule-II and also ensure that no damage is caused to the environment during this process;

(j) to create awareness among all stakeholders about their responsibilities;

(k) to ensure that the generator of municipal solid waste avoids littering, delivers the municipal solid waste to authorised agency or waste pickers as notified by the Municipal Authority and open burning of municipal solid waste is not permitted;

(l) the bio-medical waste, industrial hazardous waste and e-waste shall not be mixed with municipal solid waste and such waste shall follow the rules separately specified for the purpose.

2. The municipal authority shall incorporate the said rules in the Municipal bye laws of all the Urban Local Bodies;

3. The municipal authority shall encourage the use of municipal solid waste by adopting suitable technology which may include; composting, vermicomposting, anaerobic digestion with or without energy recovery, co-incineration, or combination of such technologies as appropriate, to make use of municipal solid waste so as to minimize burden on landfill.

4. The municipal authority or the operator, as the case may be, intending to use any other new technology may approach the State Pollution Control Board to get the standards laid down and seek authorization so as to ensure the compliance with the specified standards including pollution control norms prescribed by the competent authority in this regard.

5. The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, may approach Central Pollution Control Board for getting specified standards

6. The existing dumpsites which are not engineered landfill sites shall be closed down and capped as per the provisions of the rules.

7. The new sites for solid waste disposal facility shall be in accordance with the provisions of the proposed rules.

8. The transition time for closing of such existing facilities and operation of new facilities shall be decided by the municipal authority in consultation with the State Urban Development Department.

10. State Level Advisory Body –

(1) The Government of every State or Union Territory shall constitute a State Level Advisory Board.

(2) The Body shall be constituted by Urban Development department of the concerned State Government or Union Territory.

(3) The constitution of the State Level Advisory Body shall be as given below:

(a) Secretary, Department of Urban Development – Chairperson, ex-officio

(b) one representative from each State Government, the Department of Environment – Member, ex-officio

(c) one representative from the Central Pollution Control Board or Central Pollution Control Board Zonal Office- Member, ex-officio

(d) one representative from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee – Member, ex-officio

(e) three representatives from the Urban Local Bodies - Member

(f) three representatives from the Non-Governmental Organisation or Civil Society working in the field of environment or waste management - Member

(4) The State Level Advisory Body shall meet at least once in a year to review all the matters related to implementation of Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2013.

(5) The copies of the review report shall be forwarded to all the 'Prescribed Authorities' under these rules for necessary action.

(6) The Body shall also advise the Government of State or Union Territory, as the case may be, and also the Prescribed Authorities on the matters related to implementation of these rules.

(7) The State Level Advisory Body may co-opt experts, as necessary.

11. Annual Report-

(1) The municipal authority shall furnish its annual report in the form of Form-II to the Secretary-in-charge of the Department of Urban Development of the concerned State or Union Territory in

case of metropolitan city and the State Pollution Control Board or the Committee on or before the 30th day of June every year.

(2) The Operator of facility shall submit the annual report to the municipal authority as per Form-III.

(3) The annual report shall include the progress on action taken to comply with these rules and as per conditions stipulated by the State Pollution Control Board or Committee, as the case may be.

(4) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as the case may be, shall prepare and submit the annual report to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules by the 30th day of September of each year in the form of Form-IV;

(5) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual review report on the use and management of municipal solid waste and forward the same to the Ministry of Urban Development and Ministry of Environment and Forests, Government of India along with its recommendations before the 30th day of December each year.

(6) The Ministry of Urban Development, Government of India shall make annual review for implementation of said rules with relevant stakeholders.

12. **Accident Reporting.** -- When an accident occurs at any municipal solid waste collection, segregation, storage, processing, treatment and disposal facility or landfill site or during the transportation of such waste, the municipal authority or an operator of facility shall forthwith report of the accident in the form of Form-V to the Secretary in-charge of the Urban Development Department and District Collector and the instructions issued by the said authorities shall be followed.

[F.No.18-3/2004 (Vol. II) -HSMD]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

SCHEDULE I

Specifications for Landfill Sites

A. Criteria for Site Selection.-

1. In areas falling under the jurisdiction of 'Development Authorities' it shall be the responsibility of such Development Authorities to identify the landfill sites and hand over the sites to the concerned municipal authority for development, operation and maintenance. Elsewhere, this responsibility shall lie with the concerned municipal authority.
2. Selection of landfill sites shall take into consideration the relevant environmental issue.
3. The landfill site shall be planned and designed with proper documentation of a phased construction plan as well as a closure plan. In case a new landfill facility is created adjoining an existing landfill site, the closure plan of existing landfill should form a part of the proposal of such new landfill.
4. The landfill sites shall be selected to make use of nearby wastes processing facility. Otherwise, wastes processing facility shall be planned as an integral part of the landfill site.
5. Landfill sites shall be set up as per the guidance notes formulated by the Ministry of Urban Development, Governmentof India.
6. The existing landfill sites which are in use for more than five years, shall be improved in accordance of the specifications given in this Schedule.
7. The landfill site shall be large enough to last for at least 20-25 years.
8. The landfill site shall be away from habitation clusters, forest areas, water bodies monuments, National Parks, Wetlands and places of important cultural, historical or religious interest and the distance to be maintained, as prescribed by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) on a case to case basis.
9. A buffer zone of no development shall be maintained around landfill sites and sites for processing and disposal of municipal solid waste. The sites for landfill, and processing and disposal of municipal solid waste shall be incorporated in the Town Planning Department's land-use plans. The buffer zone shall be prescribed by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), on a case to case basis. The site, as approved by the State Environment Impact Assessment Authority shall be notified by the concerned Local Government.
10. Landfill site shall be away from airport including airbase. Necessary approval of airport or airbase authorities prior to the setting up of the landfill site shall be obtained in cases where the site is to be located within 20 km of an airport or airbase.
11. Biomedical waste shall be disposed of in accordance with the Bio-medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, as amended. The hazardous waste shall be managed in accordance with the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, 2008, as

amended, from time to time. The E-waste shall be managed in accordance with the e-Waste (Management and Handling) Rules, 2011.

B. Criteria for Development of Facilities at the Site.-

1. Landfill site shall be fenced or hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicles or other modes of transportation.
2. The landfill site shall be well protected to prevent entry of unauthorized persons and stray animals.
3. Approach and other internal roads for free movement of vehicles and other machinery shall exist at the landfill site.
4. The landfill site shall have waste inspection facility to monitor waste brought in for landfill, office facility for record keeping and shelter for keeping equipment and machinery including pollution monitoring equipments.
5. Provisions like weigh bridge to measure quantity of waste brought at landfill site, fire protection equipments and other facilities as may be required shall be provided.
6. Utilities such as drinking water (preferably bathing facilities for workers) and lighting arrangements for easy landfill operations when carried out in night hours shall be provided.
7. Safety provisions including health inspections of workers at landfill site shall be periodically made.

C. Criteria for specifications for land filling operations and closure on completion of landfill.-

1. Waste subjected to land filling shall be compacted in thin layers using landfill compactors to achieve high density of the waste. In high rainfall areas where heavy compactors cannot be used alternative measures shall be adopted.
2. Waste shall be covered immediately or at the end of each working day with minimum 10 cm of soil, inert debris or construction material till such time waste processing facilities for composting or recycling or energy recovery are set up as per Schedule II.
3. Prior to the commencement of monsoon season, an intermediate cover of 40-65 cm thickness of soil shall be placed on the landfill with proper compaction and grading to prevent infiltration during monsoon. Proper drainage shall be constructed to divert run-off away from the active cell of the landfill.
4. After completion of landfill, a final cover shall be designed to minimize infiltration and erosion. The final cover shall meet the following specifications, namely :--
   (i) The final cover shall have a barrier soil layer comprising of 60 cms of clay or amended soil with permeability coefficient less that 1×10^{-7} cm/sec.
   (ii) On top of the barrier soil layer there shall be a drainage layer of 15 cm.
   (iii) On top of the drainage layer there shall be a vegetative layer of 45 cm to support natural plant growth and to minimize erosion.

D. Criteria for Pollution prevention.-

In order to prevent pollution problems from landfill operations, the following provisions shall be made, namely:-

1. Diversion of storm water drains to minimize leachate generation and prevent pollution of surface water and also for avoiding flooding and creation of marshy conditions;
2. Construction of a non-permeable lining system at the base and walls of waste disposal area. For landfill receiving residues of waste processing facilities or mixed waste or waste having contamination of hazardous materials (such as aerosols, bleaches, polishes, batteries, waste oils, paint products and pesticides) minimum liner specifications shall be a composite barrier having 1.5 mm high density polyethylene (HDPE) geo-membrane / geo-synthetic liners, or equivalent, overlying 90 cm of soil (clay or amended soil) having permeability coefficient not greater than 1×10^{-7} cm/sec. The highest level of water table shall be at least two meter below the base of clay or amended soil barrier layer;
3. Provisions for management of leachates collection and treatment shall be made. The treated leachates shall meet the standards specified in Schedule- II;
4. Prevention of run-off from landfill area entering any stream, river, lake or pond.

E. Criteria for Water Quality Monitoring.-

1. Before establishing any landfill site, baseline data of ground water quality in the area shall be collected and kept in record for future reference. The ground water quality within 50 metres of the

periphery of landfill site shall be periodically monitored to ensure that the ground water is not contaminated beyond acceptable limit as decided by the Ground Water Board or the State Board or the Committee. Such monitoring shall be carried out to cover different seasons in a year that is, summer, monsoon and post-monsoon period.

2. Usage of groundwater in and around landfill sites for any purpose (including drinking and irrigation) is to be considered after ensuring its quality. The following specifications for drinking water quality shall apply for monitoring purpose, namely :-

S. No.	Parameters	IS 10500:1991, Edition 2.2(2003-09) Desirable limit (mg/l except for pH)
(1)	Arsenic	0.01
(2)	Cadmium	0.01
(3)	Chromium(as Cr^{6+})	0.05
(4)	Copper	0.05
(5)	Cyanide	0.05
(6)	Lead	0.05
(7)	Mercury	0.001
(8)	Nickel	-
(9)	Nitrate as NO_3	45.0
(10)	pH	6.5-8.5
(11)	Iron	0.3
(12)	Total hardness (as $CaCO_3$)	300.0
(13)	Chlorides	250
(14)	Dissolved solids	500
(15)	Phenolic compounds (as C_6H_5OH)	0.001
(16)	Zinc	5.0
(17)	Sulphate (as SO_4)	200

F. Criteria for Ambient Air Quality Monitoring

1. Installation of landfill gas control system including gas collection system shall be made at landfill site to minimize odour generation, prevent off-site migration of gases and to protect vegetation planted on the rehabilitated landfill surface.

2. The concentration of methane gas generated at landfill site shall not exceed 25 per cent of the lower explosive limit (LEL).

3. The landfill gas from the collection facility at a landfill site shall be utilized for either direct thermal applications or power generation, as per viability. Otherwise, landfill gas shall be burnt (flared) and shall not be allowed to directly escape to the atmosphere or for illegal tapping. Passive venting shall be allowed if its utilization or flaring is not possible.

4. Ambient air quality at the landfill site and at the vicinity shall be monitored to meet the following specified standards, namely :-

S. No.	Parameters	**Acceptable levels**
(i)	Sulphur dioxide	50 $\mu g/m^3$(Annual*) 80 $\mu g/m^3$ (24 hours**)
(ii)	Nitrogen Dioxide	40 $\mu g/m^3$(Annual*) 80 $\mu g/m^3$(24 hours**)

(iii)	Particulate Matter(size less than 10μ) or PM_{10}	60 $\mu g/m^3$(Annual*) 100 $\mu g/m^3$(24 hours**)
(iv)	Particulate Matter(size less than 2.5 μ) or $PM_{2.5}$	40 $\mu g/m^3$(Annual*) 60 $\mu g/m^3$(24 hours**)
(v)	Carbon monoxide	1 hour ** : 04 mg/m^3 8 hours** : 02 mg/m^3
(vi)	Ammonia (NH_3) $\mu g/m^3$	100 $\mu g/m^3$(Annual*) 400 $\mu g/m^3$(24 hours**)
(vii)	Benzo(a) Pyrene(BaP)- particulate phase only, ng/m^3	01 ng/m^3 (Annual*)

Notes:

(i) * Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.

(ii) ** 24 hourly or 08 hourly or 01 hourly monitored values, as applicable, shall be complied with 98% of the time in a year, 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

5. The ambient air quality monitoring shall be carried out by the concerned authority as per the following schedule, namely:-

(a) Six times in a year for cities having population of more than fifty lakhs;

(b) Four times in a year for cities having population between ten and fifty lakhs;

(c) Two times in a year for town or cities having population between one and ten lakhs.

G. Criteria for Plantation at Landfill Site

1. A vegetative cover shall be provided over the completed site in accordance with the and following specifications, namely:-

(a) Selection of locally adopted non-edible perennial plants that are resistant to drought and extreme temperatures shall be allowed to grow;

(b) The plants grown are such that their roots do not penetrate more than 30 cms. This condition shall apply till the landfill is stabilised;

(c) Selected plants shall have ability to thrive on low-nutrient soil with minimum nutrient addition;

(d) Plantation to be made in sufficient density to minimize soil erosion.

H. Criteria for Post-care of Landfill Site

1. The post-closure care of landfill site shall be conducted for at least fifteen years and long term monitoring or care plan shall consist of the following, namely :-

(a) Maintaining the integrity and effectiveness of final cover, making repairs and preventing run-on and run-off from eroding or otherwise damaging the final cover;

(b) Monitoring leachate collection system in accordance with the requirement;

(c) Monitoring of ground water in accordance with requirements and maintaining ground water quality;

(d) Maintaining and operating the landfill gas collection system to meet the standards.

2. Use of closed landfill sites after fifteen years of post-closure monitoring can be considered for human settlement or otherwise only after ensuring that gaseous and leachate analysis complies with the specified standards.

I. Criteria for Special provisions for hilly areas

Cities and towns located on hills shall have location-specific methods evolved for final disposal of solid waste by the municipal authority with the approval of the concerned State Board or the Committee. The municipal authority shall set up processing facilities for utilization of biodegradable organic waste. The inert and non-biodegradable waste shall be used for building roads or filling-up of appropriate areas on hills. Because of constraints in finding adequate land in hilly areas, waste not suitable for road-laying or filling up shall be disposed of in specially designed landfills.

SCHEDULE II

A. Standards for Composting

1. The waste processing or disposal facilities shall include composting, controlled bioremediation, incineration, pelletisation, energy recovery or any other facility using suitable technology.
2. In case of engagement of private agency by the municipal authority, a specific agreement between the municipal authority and the private agency shall be made particularly, for supply of solid waste and other relevant terms and conditions.
3. In order to prevent pollution problems from compost plant and other processing facilities, the following shall be complied with, namely :-
   (i) The incoming waste at site shall be maintained prior to further processing. To the extent possible, the waste storage area should be covered. If, such storage is done in an open area, it shall be provided with impermeable base with facility for collection of leachate and surface water run-off into lined drains leading to a leachate treatment and disposal facility;
   (ii) Necessary precautions shall be taken to minimize nuisance of odour, flies, rodents, bird menace and fire hazard;
   (iii) In case of breakdown or maintenance of plant, waste intake shall be stopped and arrangements be worked out for diversion of waste to the temporary processing site or temporary landfill sites which will be again reprocessed when plant is in order;
   (iv) Pre-process and post-process rejects shall be removed from the processing facility on regular basis and shall not be allowed to pile at the site. Recyclables shall be routed through appropriate vendors. The non-recyclables shall be sent for well-designed landfill site(s).
   (v) In case of compost plant, the windrow area shall be provided with impermeable base. Such a base shall be made of concrete or compacted clay, 50 cm thick, having permeability coefficient less than 10^{-7} cm/sec. The base shall be provided with 1 to 2 per cent slope and circled by lined drains for collection of leachate or surface run-off;
   (vi) Ambient air quality monitoring shall be regularly carried out particularly for checking odor nuisance at down-wind direction on the boundary of processing plant.
   (vii) Leachate shall be re-circulated in compost plant for moisture maintenance.

4. In order to ensure safe application of compost, the following specifications for compost quality shall be met, namely:-

Parameters	Concentration not to exceed * (mg/kg dry basis, except pH value and C/N ratio)
Arsenic	10.00
Cadmium	5.00
Chromium	50.00
Copper	300.00
Lead	100.00
Mercury	0.15
Nickel	50.00
Zinc	1000.00
C/N ratio	20-40
PH	5.5-8.5

* Compost (final product) exceeding the above stated concentration limits shall not be used for food crops. However, it may be utilized for purposes other than growing food crops.

B. Standards for Treated Leachates

The disposal of treated leachates shall follow the following standards, namely:-

S. No.	Parameter	Standards (Mode of Disposal)		
		Inland surface water	Public sewers	Land disposal
1.	Suspended solids, mg/l, max	100	600	200
2.	Dissolved solids (inorganic) mg/l, max.	2100	2100	2100
3.	pH value	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0
4.	Ammonical nitrogen (as N), mg/l, max.	50	50	-
5.	Total Kjeldahl nitrogen (as N), mg/l, max.	100	-	-
6.	Biochemical oxygen demand (3 days at 27^0 C) max.(mg/l)	30	350	100
7.	Chemical oxygen demand, mg/l, max.	250	-	-
8.	Arsenic (as As), mg/l, max	0.2	0.2	0.2
9.	Mercury (as Hg), mg/l, max	0.01	0.01	-
10.	Lead (as Pb), mg/l, max	0.1	1.0	-
11.	Cadmium (as Cd), mg/l, max	2.0	1.0	-
12.	Total Chromium (as Cr), mg/l, max.	2.0	2.0	-
13.	Copper (as Cu), mg/l, max.	3.0	3.0	-
14.	Zinc (as Zn), mg/l, max.	5.0	15	-
15.	Nickel (as Ni), mg/l, max	3.0	3.0	-
16.	Cyanide (as CN), mg/l, max.	0.2	2.0	0.2
17.	Chloride (as Cl), mg/l, max.	1000	1000	600
18.	Fluoride (as F), mg/l, max	2.0	1.5	-
19.	Phenolic compounds (as C_6H_5OH) mg/l, max.	1.0	5.0	-

Note : While discharging treated leachates into inland surface waters, quantity of leachates being discharged and the quantity of dilution water available in the receiving water body shall be given due consideration.

C. Incineration:

The incinerators shall meet the following operating and emission standards, namely:-

Operating Standards

(1) The combustion efficiency (CE) shall be at least 99.00%.

(2) The combustion efficiency is computed as follows:

$$C.E. = \frac{\%CO_2}{\%CO_2 + \%CO} \times 100$$

Emission Standards

Parameters	Concentration mg/Nm^3 at (12% CO_2 correction)
(1) Particulate matter	150
(2) Nitrogen Oxides	450
(3) HCl	50

(4) Minimum stack height shall be 30 meters above ground.

(5) Volatile organic compounds in ash shall not be more than 0.01%.

2921 GI/13-9

Note:

1. Suitably designed pollution control devices shall be installed or retrofitted with the incinerator to achieve the above emission limits, if necessary.
2. Waste to be incinerated shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectants.
3. Chlorinated plastics shall not be incinerated.
4. Toxic metals in incineration ash shall be limited within the regulatory quantities as specified in the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2008, as amended from time to time.
5. Only low sulphur fuel like l.d.o., l.s.h.s or Diesel shall be used as fuel in the incinerator.

D. Waste to Energy.-

The State Pollution Control Board or Committee, on examination of the proposal on case-to-case basis, shall prescribe such standards for maintenance of ambient air quality around such facilities. The standards and other specifications shall be in consonance with the emission standards prescribed for incineration and for disposal of treated leachates.

The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall examine the proposal submitted by Municipal Authority or an operator on behalf of these authorities and if it includes the technology other than mentioned in these rules shall be approved by the State Pollution Control Board or Committee. However, if the State Pollution Control Board or Committee so desire, may forward to Central Pollution Control Board for technical advice.

FORM – I

APPLICATION FOR OBTAINING AUTHORIZATION

FOR PROCESSING/RECYCLING/TREATMENT AND DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE

To,

The Member Secretary,

.....State Pollution Control Board/Pollution Control Committee

of.....

Sir,

I/We hereby apply for authorization under the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2012 for processing, recycling, treatment and disposal of municipal solid waste

1.	Name of the municipal authority/agency appointed by them/ operator of facility	
2.	Correspondence address Telephone No. Fax No. e-mail:	
3.	Nodal Officer & designation(Officer authorised by the municipal authority or agency responsible for operation of processing/ treatment or disposal facility)	
4.	Authorization required for setting up and operation of the facility (Please tick mark)	(a) waste processing ☐ (b) recycling ☐ (c) treatment ☐ (d) disposal ☐ (e) landfill ☐
5.	Attach copies of the Documents	(i) Site clearance (local authority) (ii) Proof of Environmental Clearance (iii) Consent for establishment (iv) Consent to operate (v) Agreement between municipal authority and operating agency

		(vi) Investment on the project and expected return
6.	**Processing/recycling/treatment of municipal solid waste** (i) Total Quantity of waste to be processed per day (a) Quantity of waste recycled per day (b) Quantity of waste treated per day (c) Quantity of waste disposed per day into landfill (ii)Utilization programme for waste processed (Product utilization) (iii)Methodology for disposal (attach details) (a) Quantity of leachate (b) Treatment technology for leachate (iv)Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution (v)Measures to be taken for safety of workers working in the plant (vi)Details on municipal solid waste processing/recycling/ treatment/disposal facility (to be attached)	
7.	**Disposal of municipal solid waste** (i) Number of sites identified (ii) Quantity of waste to be disposed per day (iii) Nature and composition of waste (iv) Details of methodology or criteria followed for site selection (attach) (v) Details of existing site under operation (vi) Methodology and operational details of landfilling (vii) Measures taken to check environmental pollution	
8	A detailed Action Plan for implementation may be attached	

Date: Signature:

Place: Designation

Form- II

FORMAT FOR ISSUE OF AUTHORISATION

File No.: _____

Dated:_____

Authorization No _____

To

Ref: Your application number _____dt. _____

The _____State Pollution Control Board/Pollution Control Committee after examining the proposal hereby authorises_____having their administrative office at _____to set up and operate waste processing/recycling/ treatment/disposal facility at_____

1. The authorization is hereby granted to operate the facility for processing, recycling, treatment and disposal of municipal solid waste.
2. The authorization is subject to the terms and conditions stated below and such conditions as may be otherwise specified in these rules and the standards laid down in Schedules II, IV and V annexed to these rules.
3. The _____State Pollution Control Board/Pollution Control Committees of the UT may, at any time, revoke any of the conditions applicable under the authorization and shall communicate the same in writing.
4. Any violation of the provision of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2012 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board/Pollution Control Committee of the UT

(Signature and designation)

Date :

Place :

Form - III

FORMAT OF ANNUAL REPORT TO BE SUBMITTED BY THE MUNICIPAL AUTHORITY

1	Name of the City/Town	
2	Population	
3	Municipal Body Name & Address Telephone No. Fax No. E-mail:	
4	Name of in-charge dealing with municipal solid waste	
5	Total Quantity of solid waste	
	(i) Quantity of waste generated per day	
	(ii) Quantity of waste collected per day	
	(iii) Quantity of waste processed	
	(iv) Quantity of waste disposed by landfilling	
6.	Waste Collection	Attach property map of city with location of all households/ commercial/ institutional/ other establishments marked on it
	(i) Area covered for collection of waste	
	(i) No. of houses covered	Total number in each category
	(ii) No. of commercial establishments including hotels covered	Provide number with details
	(iii) No. of educational institutions/ offices/ other	Provide number with details

	institutes generating municipal waste covered, as defined in Chapter I, point 3(xviii) of the Rules.	
	(iv) whether door-to door collection of municipal solid waste is practiced	Yes/No
	(v) whether waste is collected in segregated form at household, commercial and institutional level	Yes/ No (if yes, provide details)
7.	Waste Storage and facilities	
	(i) No. of Bins (green, white, black), size, shape, type	Existing Proposed
	(ii) RCC Bins (Capacity)	Existing Proposed
	(iii) Containers (Capacity)	Existing Proposed
	(iv) Dumper Location – Placers	Existing Proposed
	(v) Trolleys and dhalao (Capacity)	Existing Proposed
	(vi) Others, please specify	
	(a) Zone wise distribution of all Bins (colored and RCC , containers, dumper placers, dhalao points)	Attach property map of city with distribution of bins, dumper placers, containers, dhalaos marked on it
	(b) Whether all bins/collection spots are attended for daily lifting of garbage	Yes/No
	(c) Whether all bins/ collection spots have facility for segregated storage	Yes/ No (if yes, add details)
	(d) Whether lifting of garbage from dustbins is manual or mechanical	Manual/Loaders/Others specify
	(e) If mechanical - using (Please tick mark)	front-end loaders/ Top loaders
	(f) Whether garbage is lifted and transported to treatment plant in segregated form	Yes/ No (if yes, specify)
8.	Waste Transportation	
	(i) Truck	Existing Proposed
	(ii) Truck-Tipper	Existing Proposed
	(iii) Tractor-Trailer	Existing Proposed
	(iv) Refuse Collector	Existing Proposed
	(v) Dumper Placers	Existing Proposed
	(vi) Animal cart	Existing Proposed
	(vii) Tricycle	Existing Proposed
	(viii) Others	Existing Proposed
9.	Waste Treatment Technologies	
	(i) Composting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold
	(ii) vermicomposting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold
	(iii) Refuse Derived Fuel	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold

	(iv) Co-processing	Qty. raw material processed
	(v) Energy recovery	Qty. raw material processed Qty. final energy produced Qty. material landfilled
	(vi) Waste incineration	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. material landfilled
	(vii) Others	Qty.
10	Details on the landfill facilities	
	(i) No. of landfill sites used	
	(ii) Area used	
	(a). Area is fenced	Yes / No
	(b). Lighting facility on site	Yes / No
	(c). Weigh bridge facility available	Yes / No (if yes attach data sheet)
	(d). Equipment used (specify)	Bulldozer, Compacters etc. available
	(e). Manpower available on site	Yes/No (if yes, attach details)
	(f). Covering is done on daily basis	Yes/No
	(g). Adequate covering material is available	Yes/No
	(h). Provisions for gas venting provided	Yes/No (if yes, attach technical data sheet)
	(i). Provision for leachate collection	Yes/No (if yes, attach technical data sheet)
11	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city	Yes/No (if Yes attach Action Plan details)
12	What provisions are available and how these are implemented to check unhygienic operations of? (i) Dairy related activities : (ii) Slaughter houses and unauthorised slaughtering : (iii) Malba (construction debris) lifting : (iv) Encroachment in Parks, Footpaths etc.	Attach details on Proposals, Steps taken,
13	Details of Post Closure Plan	Attach Plan
14	How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :	Yes/ No (if Yes, attach details)

Signature of Municipal Commissioner

Dated:

Place:

Form - IV

FORMAT OF ANNUAL REPORT TO BE SUBMITTED BY THE OPERATOR OF FACILITY TO THE MUNICIPAL AUTHORITY

1	**Name of the City/Town**	
3	**Operator** Name and Address Telephone No.	

	Fax No. E-mail:	
4	**Name of in-charge dealing with MSW**	
5	**Total Quantity of solid waste**	
	(i) Quantity of waste generated per day	
	(ii) Quantity of waste collected per day	
	(iii) Quantity of waste processed	
	(iv) Quantity of waste disposed by landfilling	
6.	**Waste Collection**	Attach property map of city with location of all households/ commercial/ institutional/ other establishments marked on it
	(i) Area covered for collection of waste	
	(ii) No. of houses covered	Total number in each category
	(iii) No. of commercial establishments including hotels covered	Provide number with details
	(iv) No. of educational institutions/ offices/ other institutes generating municipal waste covered, as defined in Chapter I, point 3(xviii) of the Rules.	Provide number with details
	(v) whether door-to door collection of municipal waste is practiced	Yes/No
	if yes - whether done by	municipality/ Private Agency /Non-Governmental Organizations
	(vi) whether waste is collected in segregated form at household, commercial and institutional level	Yes/ No (if yes, add details)
7.	**Waste Storage and facilities**	
	(i) No. of Bins (green, white, black), size, shape, type	Existing Proposed
	(ii) RCC Bins (Capacity)	Existing Proposed
	(iii) Containers (Capacity)	Existing Proposed
	(iv) Dumper Location – Placers	Existing Proposed
	(v) Trolleys and dhalao (Capacity)	Existing Proposed
	(a) Others, please specify	
	(b) Zone wise distribution of all Bins (colored and RCC , containers, dumper placers, dhalao points)	Attach property map of city with distribution of bins, dumper placers, containers, dhalaos marked on it
	(c) Whether all bins/collection spots are attended for daily lifting of garbage	Yes/No
	(d) Whether all bins/ collection spots have facility for segregated storage	Yes/ No (if yes, add details)
	(e) Whether lifting of garbage from dustbins is manual or mechanical	Manual/Loaders/Others specify
	(f) If mechanical - using (Please tick mark)	front-end loaders/ Top loaders
	(g) Whether garbage is lifted and transported to treatment plant in segregated form	Yes/ No (if yes, specify)
8.	**Waste Transportation**	
	(i) Truck	Existing Proposed

2921 GI/13—11

	(ii) Truck-Tipper	Existing Proposed
	(iii) Tractor-Trailer	Existing Proposed
	(iv) Refuse Collector	Existing Proposed
	(v) Dumper Placers	Existing Proposed
	(vi) Animal cart	Existing Proposed
	(vii) Tricycle	Existing Proposed
	(viii) Others	Existing Proposed
9.	**Waste Treatment Technologies**	
	(i) Composting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. Sold
	(ii) vermicomposting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. Sold
	(iii) Refuse Derived Fuel	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. Sold
	(iv) Co-processing	Qty. raw material processed
	(v) Energy recovery	Qty. raw material processed Qty. final energy produced Qty. material landfilled
	(vi) Waste incineration	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. material landfilled
	(vii) Others	Qty.
10	**Details on the landfill facilities**	
	(i) No. of landfill sites used	
	(ii) Area used	
	(a) Area is fenced	Yes / No
	(b) Lighting facility on site	Yes / No
	(c) Weigh bridge facility available	Yes / No (if yes attach data sheet)
	(d) Equipment used (specify)	Bulldozer, Compacters etc available
	(e) Manpower available on site	Yes/No (if yes, attach details)
	(f) Covering is done on daily basis	Yes/No
	(g) Adequate covering material is available	Yes/No
	(h) Provisions for gas venting provided	Yes/No (if yes, attach technical data sheet)
	(i) Provision for leachate collection	Yes/No (if yes, attach technical data sheet)
14	**Details of Post Closure Plan**	Attach Plan

Signature of Operator

Dated :

Place:

Form - V

Format of Annual Review Report to be submitted by the State Pollution Control Board/Committees to the Central Pollution Control Board

To,

The Chairman,
Central Pollution Control Board,
'Parivesh Bhawan',
East Arjun Nagar,
DELHI- 110 032

1.	Name of the State/Union territory	:	
2.	Name & address of the State Pollution Control	:	
3.	Number of municipal authorities responsible for management of municipal solid waste in the State/Union territory under these rules	:	
4.	No. of authorization application Received	:	
5.	A Summary Statement on progress made by municipal authority in respect of municipal solid waste management	:	Please attach as Annexure-I
6.	A Summary Statement on progress made by municipal authorities in respect of waste collection, segregation, transportation and disposal	:	Please attach as Annexure-II
7.	A summary statement on progress made by municipal authorities in respect of implementation of Schedule II	:	Please attach as Annexure-III
Date:			Chairman or the Member Secretary
Place:			State Pollution Control Board/ Pollution Control Committee

Form - VI

Accident Reporting

1.	Date and time of accident	:	
2.	Sequence of events leading to accident	:	
3.	The waste involved in accident	:	
4.	Assessment of the effects of the accidents on human health and the environment	:	
5.	Emergency measures taken	:	
6.	Steps taken to alleviate the effects of accidents	:	
7.	Steps taken to prevent the recurrence of such an accident	:	
Date:			Signature:.....
Place:			Designation: .....

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.